रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण भाग में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1998 (ज्येष्ठ 16, 1920)
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1998 (JYAISTHA 16, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 4 जून 1998

सूचना

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारियों की अठत्तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक टागोर सेन्टनरी थिएटर, वझुतक्काड, तिरुवनन्तपुरम-695 014 में शुक्रवार दिनांक 10 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11.30 बजे (मानक समय) निम्नलिखित कार्य हेतु सम्पन्न होगी ।

"31 मार्च, 1998 को समाप्त अवधि के लिए निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन पत्र एवं लाभ-हानि लेखा और बैंक के तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना ।"

जी. जी. पैय
प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल 1998

संख्या : आर–12/16/9/85–बीमा–1––सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 23–12–1997 की बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया :––

"कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 99 के उपबंधों के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसके द्वारा संकल्प करता है कि 31-12-1995 को अथवा इससे पहले रोजगार चोट के कारण हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामलों में उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्वीकृत स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के आवर्तिक भुगतानों की राशि नीचे दिए गए प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा तक बढ़ा दी जाएगी :—

अशक्तता/मृत्यु का वर्ष	अभी तक की गई कुल बढ़ोतरी	अब प्रस्तावित बढोतरी
(1)	(2)	(3)
1. 31-12-1952 को अथवा इससे पहले हुई अशक्तता तथा मृत्यु के मामले ।	904 प्रतिशत	मूल राशि का 1931 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
2. 01-01-1953 को अथवा इसके बाद 31-12-1953 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	882 प्रतिशत	मूल राशि का 1884 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
3. 01-01-1954 को अथवा इसके बाद 31-12-1954 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु मामले ।	923 प्रतिशत	मूल राशि का 1980 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
4. 01-01-1955 को अथवा इसके बाद 31-12-1955 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु मामले ।	977 प्रतिशत	मूल राशि का 2085 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
5. 01-01-1956 को अथवा इसके बाद 31-12-1956 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	893 प्रतिशत	मूल राशि का 1907 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
6. 01-01-1957 को अथवा इसके बाद 31-12-1957 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	841 प्रतिशत	मूल राशि का 1797 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
7. 01-01-1958 को अथवा इसके बाद 31-12-1958 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु मामले ।	803 प्रतिशत	मूल राशि का 1717 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
8. 01-01-1959 को अथवा इसके बाद 31-12-1959 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु मामले ।	776 प्रतिशत	मूल राशि का 1661 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
9. 01-01-1960 को अथवा इसके बाद 31-12-1960 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु मामले ।	760 प्रतिशत	मूल राशि का 1626 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
10. 01-01-1961 को अथवा इसके बाद 31-12-1961 तक हुई अशक्तता अथवा मामले ।	728 प्रतिशत	मूल राशि का 1560 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
11. 01-01-1962 को अथवा इसके बाद 31-12-1962 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	706 प्रतिशत	मूल राशि का 1513 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
12. 01-01-1963 को अथवा इसके बाद 31-12-1963 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	685 प्रतिशत	मूल राशि का 1469 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
13. 01-01-1964 को अथवा इसके बाद 31-12-1964 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	596 प्रतिशत	मूल राशि का 1281 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
14. 01-01-1965 को अथवा इसके बाद 31-12-1965 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	538 प्रतिशत	मूल राशि का 1160 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
15. 01-01-1966 को अथवा इसके बाद 31-12-1966 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	483 प्रतिशत	मूल राशि का 1043 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
16. 01-01-1967 को अथवा इसके बाद 31-12-1967 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	416 प्रतिशत	मूल राशि का 903 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)

(1)	(2)	(3)
17. 01-01-1968 को अथवा इसके बाद 31-12-1968 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	403 प्रतिशत	मूल राशि का 875 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
18. 01-01-1969 को अथवा इसके बाद 31-12-1969 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	409 प्रतिशत	मूल राशि का 886 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
19. 01-01-1970 को अथवा इसके बाद 31-12-1970 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	385 प्रतिशत	मूल राशि का 838 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
20. 01-01-1971 को अथवा इसके बाद 31-12-1971 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	374 प्रतिशत	मूल राशि का 813 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
21. 01-01-1972 को अथवा इसके बाद 31-12-1972 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	346 प्रतिशत	मूल राशि का 754 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
22. 01-01-1973 को अथवा इसके बाद 31-12-1973 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	287 प्रतिशत	मूल राशि का 631 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
23. 01-01-1974 को अथवा इसके बाद 31-12-1974 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	209 प्रतिशत	मूल राशि का 468 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
24. 01-01-1975 को अथवा इसके बाद 31-12-1975 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	196 प्रतिशत	मूल राशि का 438 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
25. 01-01-1976 को अथवा इसके बाद 31-12-1976 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	217 प्रतिशत	मूल राशि का 483 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
26. 01-01-1977 को अथवा इसके बाद 31-12-1977 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	196 प्रतिशत	मूल राशि का 438 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
27. 01-01-1978 को अथवा इसके बाद 31-12-1978 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	189 प्रतिशत	मूल राशि का 425 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
28. 01-01-1979 को अथवा इसके बाद 31-12-1979 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	174 प्रतिशत	मूल राशि का 393 प्रतिशत (पूर्व वृद्धिसहित)
29. 01-01-1980 को अथवा इसके बाद 31-12-1980 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	150 प्रतिशत	मूल राशि का 343 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
30. 01-01-1981 को अथवा इसके बाद 31-12-1981 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	126 प्रतिशत	मूल राशि का 218 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
31. 01-01-1982 को अथवा इसके बाद 31-12-1982 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	113 प्रतिशत	मूल राशि का 197 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
32. 01-01-1983 को अथवा इसके बाद 31-12-1983 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	94 प्रतिशत	मूल राशि का 168 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
33. 01-01-1984 को अथवा इसके बाद 31-12-1984 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	82 प्रतिशत	मूल राशि का 150 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
34. 01-01-1985 को अथवा इसके बाद 31-12-1985 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	75 प्रतिशत	मूल राशि का 138 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
35. 01-01-1986 को अथवा इसके बाद 31-12-1986 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	64 प्रतिशत	मूल राशि का 121 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
36. 01-01-1987 अथवा इसके बाद 31-12-1987 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	54 प्रतिशत	मूल राशि का 105 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)

(1)	(2)	(3)
37. 01-01-1988 को अथवा इसके बाद 31-12-1988 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	46 प्रतिशत	मूल राशि का 92 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
38. 01-01-1989 को अथवा इसके बाद 31-12-1989 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	37 प्रतिशत	मूल राशि का 79 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
39. 01-01-1990 को अथवा इसके बाद 31-12-1990 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	29 प्रतिशत	मूल राशि का 66 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
40. 01-01-1991 को अथवा इसके बाद 31-12-1991 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	19 प्रतिशत	मूल राशि का 49 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
41. 01-01-1992 को अथवा इसके बाद 31-12-1992 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	10 प्रतिशत	मूल राशि का 36 प्रतिशत (पूर्व वृद्धि सहित)
42. 01-01-1993 को अथवा इसके बाद 31-12-1993 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	शून्य	मूल राशि का 29 प्रतिशत
43. 01-01-1994 को अथवा इसके बाद 31-12-1994 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	शून्य	मूल राशि का 26 प्रतिशत
44. 01-01-1995 को अथवा इसके बाद 31-12-1995 तक हुई अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले ।	शून्य--	मूल राशि का 11 प्रतिशत

"यह भी संकल्प किया गया कि स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ की वर्धित दरें, जैसा मामला हो, 01-08-1997 से प्रभावी होंगी ।"

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित ।

डी० सी० गुप्ता
महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1998

सं. यू-16/53/93-चि.-2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा राजकोट केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. पी. वी. सोलंकी की सेवाएं 4-1-98 से 3-1-99 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं ।

डा. (श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 1998

सं. यू-16/53/1/97-चिकित्सा-2 (तमिलनाडु)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा निर्धारित बंगलौर क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र को सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं :—

क्र.सं., डाक्टर का नाम, अवधि व केन्द्र का नाम

1. डा. सी. प्रेमावती, 1-4-98 से 31-3-99—वेल्लूर

डा. (श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-66, दिनांक 14 मई 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-132—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय निधि आयुक्त, दिल्ली ने स्कीम की धारा 18 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मैं० सुमिटोनों कार्पोरेशन, चौथी मंजिल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1	डीएल/1654	1-12-88 से 30-11-91 1-12-91 से 30-11-94 1-12-94 से 30-11-97	2/2090/89/डी० एल० आई०
2.	मैं० क्वालिटी रेस्टोरेंट एण्ड आइसक्रीम कं०, 29, हनुमान रोड, नई दिल्ली-110001	डी०एल०/503	1-3-89 से 29-2-92 1-3-92 से 28-2-95 1-3-95 से 28-2-98	3/15/97/डी०एल०आई०
3.	मैं० सर गंगाराम होस्पिटल, रजिन्दर नगर, नई दिल्ली-60	डी०एल०, 3399	1-7-89 से 30-6-92 1-7-92 से 30695 1-7-95 से 30-6-98	3/16/97 डीएलआई०
4.	मैं० गैबरियल इण्डिया लि०, 1, श्री अरबिन्दो मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016	डी.एल०/7433	1-8-90 से 31-7-93 1-8-93 से 31-7-96	3/17/97/डी०एल०आई०

1	2	3	4	5
5.	मैं० डाबर फार्मास्यूटीकल्स लि०, 3, फैक्टरी रोड, सफदरजंग हस्पताल के पास, दिल्ली-29	डी०एल०/9420	1-9-89 से 31-8-92 1-9-92 से 31-8-95 व 1-9-95 से 31-8-98	3/18/97/डी०एल०आई०
6.	मैं० गावा एंटरप्राइसिस, सी, 2/9 कम्यूनिटी सेंटर, अशोक विहार फेस-II, दिल्ली-110052	डी०एल/8616	1-10-90 से 30-9-93 1-10-93 से 30-9-96	3/19/97/डी०एल०आई०
7.	मैं० खत्री को-आपरेटिव अरबन बैंक लि० 2/42, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-2	डी०एल०/16035	1-2-97 से 31-1-2000	3/20/97/डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाती है तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-2/124—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति की तिथि	छूट विस्तार तिथि	के०भ०नि०आ० की फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मे०ऐसपिनवाल एण्ड कं० लि०, पी०ओ०बाक्स नं० 2, कोचीन-682001, केरल, इण्डिया	के०आर०/1714	2(1959)डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1/ 1496 दि० 4-9-91	31-12-91	1-1-92 से 31-12-94 1-1-95 से 31-12-97	डी० एल० आई०/2/ 3777/97/ 1/के०आर०
2.	मै०ऐ सपिनवाल एण्ड कम्पनी लि०, पो०ओ० बाक्स नं० 2, कोचीन-682001, केरल, इण्डिया	के०आर०/1733	2(1959)डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1/ 1496 दि० 4-9-91	31-12-91	1-1-92 से 31-12-94 1-1-95 से 31-12-97	डी०एल०आई०/2 (3777)/ 97/2 के०आर०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/4472/92/इ. डी. एल.—चूंकि मैसर्स फूड फैट्स एंड फर्टिलाइजर्स लि./ए. पी/1982 को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद छूट प्रदान की गई ।

और नियोक्ता ने 28-2-92 तक कि मास्टर पालिसी का पुनः नवीनिकरण करा लिया है और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना को क्रियान्वयन हेतु वापिस कर दिया है ।

उपरोक्त को देखते हुए मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1-3-92 से छूट रद्द करता हूं ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/132—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० वह दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के०भ०फा० नं
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै०एस०आर०पुंजा इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पोस्ट मुलकी-574154 डी०के०	के०एन० 12821	2/1959/डी०एल, आई/ एकजम/भाग–1 दिनांक 18-9-97	31-12-96	1–1–97 31-12-99	6/17/96 के०एन० डी०एल०आई

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय हत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एम. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, (मा.)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1998

का.नि.आ. जे.सी.बी./चुंगी/437/सी—जालन्धर छावनी की सीमा के अन्तर्गत चुंगी कर से संबंधित एक सूचना छावनी परिषद् कार्यालय, जालन्धर छावनी के विशेष भाग में प्रतिलिपि लगाकर 26-11-1997 को सार्वजनिक की गई थी जो छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) के अधिनियम 61 तथा 255 के अनुसार उन सभी व्यक्तियों से जो इससे प्रभावित थे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर-अन्दर आपत्तियां तथा सुझाव मांगे गए थे ।

जबकि छावनी परिषद् जालन्धर द्वारा लोगों से प्राप्त सभी आपत्तियां तथा सुझावों पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया है ।

अब, इसलिए छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) के अधिनियम 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व प्रदत्त स्वीकृति तथा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की का.नि.आ. 11(ई) दिनांक 7 अप्रैल 1989 की अधिसूचना को रद्द करते हुए, जालन्धर छावनी की सीमा के सीमा के अन्दर साथ संलग्न सूची के अनुसार संशोधित चुंगी की दरों को लागू करती है ।

क्र०सं०	वस्तुओं का विवरण	वापसी बगैर चुंगी की दर	
		प्रति 100 किलोग्राम भार पर	प्रति रूपया यथा मूल्य
1	2	3	4
	श्रेणी—1		
	खाने और पीने की वस्तुएं		
1.	चना, मक्का, जौ, धान और ज्वार	0—20	
2.	गेंहूं, चना, मक्का और ज्वार का आटा	0—55	
3.	क्रम सं० 1 पर उक्त वास्तुओं के अलावा अन्य कोई खाद्य अनाजें (दलिया समेत) ।	1—50	
4.	क्रम सं० 2 पर उक्त वस्तुओं के अलावा अन्य कोई खाद्य अनाज का आटा	1—50	
5.	सूजी मैंदा, रावा, निष्त, काबली, चना	2—00	
6.	बेसन	1—05	
7.	फुलियन सहित सभी तरह के छिलकेदार (भूसीदार) चावल	1—50	
8.	छिलका सहित चावल, अपशिष्ट चना, मक्का और चावल सहित सभी प्रकार के भूसी और सभी प्रकार की दालें (छिलका या छिलका रहित)	1—40	
9.	पापड़, बड़ियां, सेमिया	16—00	
10.	शकरकन्द चीनी, मिसरी तथा पताशा सहित सभी प्रकार के परिष्कृत चीनी	5—00	
11.	टीन डिब्बे, बोतल बन्द चासनीदार चीनी छेला, और चीनी क्यूब	3—50	
12.	गुड़, शक्कर, शीरा, मैंजा, रब, तलचा और गन्ने का रस सहित सभी प्रकार के अपरिष्कृत चीनी	2—00	
13.	देशी मिठाई तथा चीनी, गुड़, शक्कर युक्त काबली चना और नमक में फराई किए गये वस्तुएं	16—00	
14.	देशी घी, खोया और क्रीम	20—00	

1	2	3	4
15.	मूंगफली तथा नारियल के उपमनित तेल और क्रम संख्या 14 में उदृत वस्तुओं के अलावा अन्य प्रकार के कोई घी	14—00	
16.	कड़वा और मीठा तेल, आदमी या जानवरों के उपयोग में आने वाले अलसी तेल और हर प्रकार के वनस्पति तेल	10—00	
17.	ताला दूध, दूध की मलाई या मलाई रहित दही	2—00	
18.	पान के पत्ते	40—00	
19.	पान सुपारी और कत्था	40—00	
20.	सभी प्रकार के चाय	20—00	
21.	पैकिंग किए हुए सभी प्रकार के मसाले क्रम सं० 22 ; उल्लेखित वस्तूएं के अलावा सभी प्रकार के मसाले	30—00	
22.	खुला धनिया, अजवेन, मेंथी, सौंफ, इमली, कलौंजी, लाल मिर्च, अमचूर, हल्दी और इनके पाउडर	10—00 15—00 (लूज)	
23.	सभी प्रकार के देशी मुरब्बे और पैक किए हुए या खुले, सभी प्रकार के देशी आचार और अर्क	25—00 (पैकिंग)	
24.	मूंगफली		
	(क) केवल पीस (बगैर छिलके)	6—00	
	(ख) पोड्स और पीस (छिलके सहित)	1—50	
	(ग) भूने हुए मूंगफली (छिलके सहित)	6—00	
25.	शहद कोम्ब सहित अपरिष्कृत शहद	42—00	
26.	रोटी (डबल रोटी) और बन्द	5—00	
27.	बिनौला, आय , फीडर सीड, सेल केक और मुर्गी दाना	1—50	
28.	भूसा (शुष्क चारा)	1—00	
29.	(क) पिस्ता गिरीदार फल, पिस्ता, बादाम के दाने, अखरोट चार-मगज और सभी प्रकार के शुष्क फल	50—00	
	(ख) किंग्री खम्ब दिंगरेश और गुजी सहित सभी प्रकार का शुष्क सब्जियां	35—00	
30.	मिष्ठान, मिठाई, बिस्कुट, केक, काफी अदरक, मक्खन, संघटित दूध, जैम, शहद परिष्कृत, टीन—बोतल या कार्ड बोर्ड में पैक किए हुए या अन्य कोई आकार में बन्द परिरक्षित फल, परिरक्षित मछली और मांस और सभी प्रकार की आलू की चिप्स	45—00	
31.	स्कवास सरबत सौस, बोगला निशाशता, चटनी आदि मिलाकर किरयाना के सभी प्रकार की चीजें और बन्द जूस और पेक हुए जूस	35—00	
32.	धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री	16—00	
33.	बर्फ	1—00	
34.	सभी प्रकार के आइस क्रीम, कुल्फी आईसक्रीम ब्रिक आदि		0—05 प्रति रु०
35.	तीक्ष्ण सभी प्रकार के तीक्ष्ण जल जैसे थम्ज अप लिम्का, गोल्डस्पाट, सिन्ट्रो, माजा, कम्पा-कोला आदि या तीक्ष्ण जल (सोडा वाटर) सहित अन्य विशेष प्रकार के जल		0—05 प्रति रु०
36.	सभी प्रकार के ताजा फल	10—00	
37.	सभी प्रकार की ताजा सब्जियां	2—50	
38.	सभी प्रकार की ताजा मांस और मछली	25—00	
39.	—अण्डा	25—00	
40.	सभी प्रकार के नशीले द्रव्य जैसे शराब, बियर, रम, व्हिसकी, शिरी आदि		0—16 प्रति रू०
41.	मिथिलिटेड स्प्रिट		0—03 प्रति रू०
41—क	गन्ने, आचार के लिये कच्चे आम	2—50	

1	2	3	4
	श्रेणी—2		
	कसाई खाना के लिए पशु		
42.	मुर्गी—मुर्गा, बत्तख, गीज, पीरू, तथा चिड़िया	30—00	
43	भेड़, बकरी, डुम्बा, सूअर		5—00 प्रति पूंछ
44.	क्रम संख्या 43 में उल्लेखित के अलावा अन्य कोई भी चतुष्पद पशु		10—00 प्रति पूंछ
	श्रेणी—3		
	इंधन, जलाने और इसे धोने आदि में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं		
45.	चारकोल, कोक, भाप कोक, पत्थर कोयला बुझे हुए कोक "केरी" और लकड़ी ईंधन बुरादा और गाय का गोबर	1—00	
46.	मोम, टैंटबों केन्डल कैल्शियम कारबाइट, पराफिन मोम	35—00	
47.	सभी किस्म की दियासलाई	7—00	
48	सभी प्रकार के स्टोव, लैम्प और विविध प्रकार के गैस लैम्प सहित लालटेन और इनके अतिरिक्त पुर्जे टार्च और इसके सेल बैटरी सहित इसके पूर्जे	35—00	
49.	सज्जी रिट्टा किस्ठा और काला नमक सहित रिठे	3—00	
50.	सोड़ा, पोटास, कास्टिक सोड़ा, धोने का सोड़ा, सोड़ा सिलिकेट एस, साबुन खोल ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम और पोटाशियम कार्बोनेट और—प्लास्टर आफ परिस	8—00	
51.	बाय साबुन सहित सभी किस्मों के धोने का साबुन	10—00	
52.	प्रसाधन साबुन, मैडीकेटिड साबुन, सर्फ डेट डिर्टेजेन्ट केक स्वे लक्स और अन्य सभी प्रकार के वाशिंग पाउडर, स्नातक साबुन और 510 साबुन सहित सभी प्रकार के पैक किए वाशिंग पाउडर से परे कोई भी अन्य वाशिंग पाऊडर	32—00	
53.	आतिशबाजी और गन पाऊडर		0—01 प्रति रु०
54.	केरासन तेल, खनिज तेल, कच्चे तेल, फोटर स्प्रिटवायुयान में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल तथा मोबिल तेल सहित अन्य प्रकार के ईंधन तेल		0—01 प्रति रु०
54—क	डीजल तथा पेट्रोल		0—01 प्रति रु०
55.	द्रव पैट्रोलियम गैस जैसे इंडेन गैस और ईंधन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलिण्डर में भी जाने वाले सभी किस्म के अन्य गैस		3—00 प्रति सिलिन्डर
56.	गैस स्टोव तथा इसके अवयव	35—00	
57.	ईंधन या खाना पकाने वाली गैस के अलावा सभी प्रकार के गैस सिलिण्डर	3—00 सिलिण्डर	
	श्रेणी—4		
	इमारतें सड़कें तथा ऐसे ही चीजें बनाने में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं		
58.	लाठी लकड़ी की बनी हुई पेटीयां सहित बांस और इसके बनने वाली अन्य वस्तुएं	5—00	
59.	प्रकीर्ण ईंटें		2—00 प्रति 1000 ईंटें

1	2	3	4
60.	सभी प्रकार के इमारती, सड़कों आदि बनाने में प्रयुक्त होने वाली पत्थर, स्लेट, चूने, कंक्रीट, बजरी रोड़ी		10–00 प्रति ट्रक
61.	पतरी, नाली, पिंजरा, चौकर, टाईल्स सहित बिन जले ईंट या पक्के ईंट		5–00 प्रति 1000 ईंट
62.	सीमेंट; सूरखी, पत्थर रहित चूने		1–00 प्रति बैग
63.	सफेद सीमेंट		2–00 प्रति बैग
64.	छत पर डाले जाने वाले घास, सर, कंडास, कहस मूंज हैम्प संकुरियन जूट और सिरकी सहित फलदार तंतु	8–00	
65.	सभी प्रकार के बान, सूतली, जूट की रस्सी और केन, सूतली और जूट से बनी सभी प्रकार की वस्तुएं तथा क्रम सं० 64 में उल्लेखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुएं	5–00	
66.	सनमिका शीट, प्लाइवुड शीट, हार्ड-बोर्ड शीट, बकोट माइट शीट और ऐसे ही अन्य शीटें	16–00	
67.	ऐसबैस्टन कोलेअक्स और रोड रूफिंग अन्य ऐसे ही शूट्स जिसका उपयोग सामान्यतः कुण्डलीकरण (टाईलिंग) उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ए० सी० पाइप और शूट्स और अन्य वस्तुएं जो क्रम सं० 66 में उल्लेखित वस्तुओं के अलावा	13–00	
67–क	चिप्स (फ्लोर चिप्स)		1–00 प्रति 25 किलोग्राम बैग
67–ख	सैनटरी वस्तुओं में बाथरूम टाईल		0–01 प्रति रु०
68.	वार्निश टरपेटाइन तेल, सफेदी के काम में इस्तेमाल आने वाले शुष्क रंग दोहरी अलसी तेल और डिसटम्पर वस्तुएं, सभी प्रकार के रंग रोगन, नील के नसर्गिक नील खनिज टरपनटाइन पालिश जैसा कामों में होता है (डिनेटेड————स्प्रिट सहित)	20–00	
69.	सभी प्रकार के ग्लास पेन्स और सीट्स	12–00	
70.	सैनेटरी सामान (परसोनीत आइटमें)		
	(क) बड़े आकार की वस्तुएं (ख) मध्यम आकार की वस्तुएं (ग) छोटे आकार की वस्तुएं	15–00	
71.	सैनेटरी में काम में आने वाली परसोनील आइटमों के अलावा एस० डब्ल्यू० पाईप समेत	15–00	
72.	रोसिल और रैसिल	7–00	
73.	हिरमोची, मैंजलिक हिरा, कसीस लैक और सीलिंग माम	6–00	
74.	गाजनी मिट्टी, रमरांज खारिया मिट्टी, पेन्डी मिट्टी, गेरू निरमाली, पीली मिट्टी रमरांज, चाक मिट्टी, अग्निसद मिट्टी, चायना मिट्टी	2–00	
75.	चारपाई, तख्तपोष, रसोई उपकरण हेतु लकड़ी से बनी वस्तुएं लकड़ी पावा सभी प्रकार के बने स्थान और अनस्वान, चौकार और बेचाकोर वाहिग और लकड़ी से बने अन्य वस्तुएं सहित खड़ावा	7–00	
75क	लोग प्लान्क (तखती) बेलाज बैठन साबुन अनसाबन चौकार व पेचाकोर टुकड़े इस डम डैम आदि सहित सभी प्रकार के टिम्बर	4–00	

1	2	3	4
76.	सभी प्रकार के फर्नीचर जिसका उल्लेख क्रम सं० 75 में नहीं किया गया है जो लकड़ी स्टील लोहा, सनमाइका आदि से बने हों इसमें टेबल कुर्सी व साइड रैक, टेबल रैक जूता रैक, किताब शैल्फ, सोफा सैट, चायदान, अलमारी, हेट रैक, पलंग कांच, लकड़ी से बने ट्रेड क्रेट्स बक्से, क्रेडल ड्राज, टेबल हैंगर तस्वीर फ्रेम के लिए प्रयुक्त लकड़ी सम्मिलित है	16-00	
77.	रेता बदरपुर और कोई भी अन्य रेते, जिसका प्रयोग सीमेंट में मिलाकर इमारतें सड़क आदि बनाने में किया जाता है		25-00 प्रति ट्रक 5-00 प्रति कार्ट लोड 2-00 प्रति हैंड कार्ट लोड
78.	कोलातार डामर (बिचुमैन), कालेक्स और सारफेल्ट बल पत्थर सहित अन्य वस्तुएं जिसका प्रयोग सड़क को समतल करने में किया जाता है	7-00	
79.	सोलयुमन तेल और ऐसे ही कीड़ों को मारने वाले तेल जिसका प्रयोग लकड़ी के परीक्षण में किया जाता है	35-00	
80.	लोहे और स्टील सम्मिलित पाइप, तार, रस्सी; बार-शीट्स, ग्रिन्डर, लोह कोण भार गठन, चिपिंग और बेकार पर टुकड़े सहित टीन, ढलवा लोहा गिल एवं चक्का पत्थर ढलवा लोहा या ढलवा लोहे का अनुसज्जित सामान जिसमें सभी प्रकार की काली लोहशीट	11-00	
81.	कलईदार शीट (जिस्ती शीट)	11-00	
	श्रेणी-5		
	दवाई इत्र और कासमेटिक्स		
82.	सभी प्रकार के अचूत दवाई या निर्मित दवाई (इलोपैथी या होम्यो-पैथिक) सोना और चांदो की प्रतियां और यूनानी और आयुर्वेदिक दवाईयां	45-00	
83.	सभी प्रकार के सल्य चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण वैज्ञानिक औजार, प्रकाशिक और दन्त चिकित्सक सम्बन्धी उपकरण		0-03 प्रति रु०
84.	शल्य सम्बन्धी काटन (कपड़े) फाहन, गांज और बैन्डेज	20-00	
85.	सभी प्रकार के इत्र युक्त केश तेल और क्रीम सेन्ट सभी प्रकार के प्रसाधन सामग्रियां, टुथ पेस्ट टुथ पाउडर, टुथ ब्रुश, शेविंग में इस्तेमाल होने वाले फेश क्रीम, स्नो फ्रेस पाउडर, लिपिस्टक, केश शैम्पू नाखून पालिश, बिन्दी, पफ, ब्लेड, रेजर प्रोफिलैटिक और अन्य कास्मैटिक और सभी प्रकार की वस्तुएं	42-00	
86.	सभी प्रकार के रासायनिक अमल गिलसरीन, कास्टर तेल सभी प्रकार के असंक्रमण कीटनाशी जन्तुनाशी, प्रव पराफिन	45-00	
	श्रेणी-6		
	गोटा कनारी टैक्सटाइल वस्त्र और कपड़े से बनी वस्तुएं		
87.	सभी प्रकार के फीते, टेप, रिबन, फुट ब्लाक बैल्ट, चमड़ा या नाइलोन, नेकटाई, केनरी गोटा, सिलमा और स्तारा कालाबट केतुन सेना पुलिस और अन्य सरकारी विभाग में प्रयुक्त होने वाले बैज	52-00	
88.	कारपेट, दरी, कालीन, नेवार, टैन्ट, केन्वस, आयल क्लाथ और जल रोधी कपड़े एवं वस्तुएं टारपोलिन, पुस्तक बांधने वाले कपड़े ट्रेशिंग, टाट, सूती रस्सा	25-00	

1	2	3	4
89.	नाइलोन, काटन, या वूल, कम्बल, टारपोलाइन गाऊंड शीट्स दरी टैन्ट, बूट, सेडलरी केन्वस थैले से बने सभी प्रकार के सेवा में पड़े या निकम्मे पुराने पड़े कपड़े, चमड़े या स्क्रैप और अन्य बेकार पड़े सैनिक उपकरण पुरानी मच्छरदानी	10-00	
90.	क्रम सं० 89 में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य बेकार पड़ी चीज	8-00	
91	वस्त्र और ऐसे सभी प्रकार के वस्त्र जिनमें सूती, ऊनी, शिलकेन, सिन्थेटिक कपड़े और इनसे बने सभी प्रकार की साड़ी व धोती चाहे वे कशीदाकारी हो या अकशीदाकारी सम्मिलित है	30-00	
92.	हर प्रकार के रेडीमेड कपड़े	30-00	
93.	कपास रॉ, सूती और सिबल	1-50	
94.	बिनौला के और कपास सूती जिसमें बेकार पर सूती या धागे सम्मिलित है	2-50	
95.	गन्नी (थैला)		0-03 प्रति रु०
	श्रेणी-7		
	तम्बाकू और सिगरेट		
96.	निर्मित तम्बाकू जिसमें तम्बाकू पत्ती रस्सीदार व इसके चूर्ण सम्मिलित है		0-03 प्रति रु०
97.	सिग्रेट और सिगार तथा सभी प्रकार की बीड़ियां		0-03 प्रति रु०
98.	जर्दा, सफ, सुगन्दित तम्बाकू, चूसने वाले तम्बाकू		0-02 प्रति रु०
	श्रेणी-8		
	चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुएं, रबड़ और केनवस		
99.	रा हाइड, रा त्वचा, फ्लेशिंग कृत्रिम हड्डी गट्स	5-00	
100.	ड्रेस्ड हाइड और निर्मित चमड़ा	25-00	
101.	चमड़े से बनी वस्तुएं, लोम चर्म जूते, सेन्डल चप्पल और बूट्स तथा चमड़े से बनी सजावटी वस्तुएं	40-00	
102	सभी प्रकार के अटेची और-ब्रीफ केस, हैंड बैग, होल-डोल, रबड़ वस्तुएं तथा सभी प्रकार के थर्मोकोल और उससे बनी वस्तुएं	40-00	
103.	सभी-वाहन के रबड़ के टायर और ट्यूब	35-00	
	श्रेणी-9		
	धातु बर्तन और लोहे के सामान से बनी धातु वस्तुएं		
104.	धातु और लोहे से पूर्णतः या अशंतः बने धातु वस्तुएं जिसमें पीतल, तांबा, अल्मूनियम, कंशी, स्टील, (स्टेनलैस) भरत, चांदी, सिल्वर जर्मन, विद्युत लैपन धातु, चांदी, लोहे के बर्तन और छुरी कांटा सम्मिलित है	32-00	
105.	रोल्ड गोल्ड और अनुकरण (नकली सोना) सोना और चांदी के जेवरात व वस्तुएं जो पूर्णतः या अंशतः रोल्ड गोल्ड जर्मन गोल्ड नकली सोना और चांदी से बना होता है		0-03 प्रति रु०
106.	मीनाकारी बर्तन	25-00	
107.	लोहे का सामान औजार सभी प्रकार के अन्य अतिरिक्तियां जिसमें सभी तरह के हथौड़ा, सेन्ड फाईल, स्क्रू, फान्स साव लोहे का बट और बोल्ट रिन्च नेल वायर नेल सम्मिलित है	12-00	

1	2	3	4
108.	पीतल, ताम्बा, कांस्य, जस्ता, लोड टीन एवं जर्मन चांदी जैसे अन्य धातु से बने शीट और बार	20–00	
109.	लोहे के पाइप जिसमें बाल्टी, ट्रंक, सूटकेस, तवा, परात, अंगीठी, कर्छी, चिमटा, सेमदानी, नहाने का टब, नालीनुमा पाइप, विद्युतीय प्रैस मे परे लोहे का प्रैस सम्मिलित है	12–00	
110	कलईदार लोहे की शीट्स (जिस्ती लोहे की शीट) से बनी बाल्टीयां, ट्रक, सूटकेस परात,—फलेक्सिबल पाईप (जी० आई० पाईप) नहाने का टब ड्रम और अन्य कलईदार लोहे की वस्तुएं	12–00	
111.	विद्युत मोटर, पंखा, हीटर अंगीठी और उनके अतिरिक्त पुर्जे, तार विद्युत अतिरिक्तियों, केबिल, पृथकारी या ऐसे ही पार्थिक व प्रमाणित पृथककारक या विद्युत ऊर्जा, स्विच, मोटर प्लग, लैम्प, लैम्प ट्यूब, बल्ब आदि के अतिस्थापित करने प्रयुक्त होने वाले कोई अन्य वस्तुएं		0–01 प्रति रु०
112.	विद्युत मदानी, मिक्सी, प्रैस, हीटकननेक्टर सभी प्रकार के जेनरेटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, वाशिंग मशीन, कुकिंग रेंज और स्टैबलाईजर आदि		0–03 प्रति रु०
113.	लकड़ी या अन्य वस्तुओं से बनी सभी प्रकार के विद्युत पिंग, केपिंग, बटन क्लिप, बोर्ड राउण्ड ब्लाक गुटीज	5–00	
	श्रेणी-10		
	स्टेशनरी और कागज		
114.	सभी प्रकार के नक्शे, कलैण्डर, सभी प्रकार की टेबल डायरियां, मुद्रित कागज के थैले, सभी तरह के मुद्रित वस्तुएं, सभी प्रकार के इंक (रोशनाई) कलम इंक व सभी तरह के सफेद (कोरा) कागज जिसमें बाल और रंगीन कागज सम्मिलित हैं, फाउण्टेन पैन, कलम/बाल पैन, पेंसिल, इंक पेंसिल और सभी प्रकार की स्टेशनरी की वस्तुएं	25–00	
115.	रद्दी कागज, पेस्टमोल बोर्ड, स्ट्रा बोर्ड कार्ड बोर्ड और उससे बने बक्से आदि	10–00	
116.	तस्वीर, फोटोग्राफ जिसमें फोटोग्राफ से संबंधित वस्तुएं व पेपर कार्ड, स्टीव बोर्ड या ट्रेसिंग वस्त्र व टूनिक कागज पर अंकित होने वाले प्रत्येक कलाकरी कार्य सम्मिलित है	50–00	
	श्रेणी–11		
	वाहनों के मशीन		
117.	सभी प्रकार के मशीन जिसमें कृषि उद्योग अन्य मशीनें और इसके पुर्जे तथा तेल इंजन या इसके पार्ट पुर्जे सम्मिलित हैं	13–00	
118.	नई ट्रैक्टर		125.00 प्रति
119.	नई मोटर कार, लारियां, ट्रक, जिसमें सरकारी विभाग या इनसे अलग एजेंसियों द्वारा बेचे गए सभी प्रकार के वाहन सम्मिलित हैं		600–00 प्रति गाड़ी
120.	नई मोटर साईकिल, साइड कार, स्कूटर आटोरिक्शा, टैम्पो आदि जो सरकारी विभाग या इनसे अलग एजेंसियों द्वारा बेची गई हो		60–00 प्रति गाड़ी
121.	हर प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं और प्लास्टिक तिपाहिया साईकिल	40–00	
122.	नई साईकिल तिपाहिया साईकिल पारा चल (ऐम्बुलेटर) साईकिल रिक्शा और इनके अतिरिक्तियां	30–00	

1	2	3	4
123.	शक्तिमान या मोटर लगे हुए नई यांत्रिक साईकल		60–00 प्रति साईकल
124.	नई तांगा, गड्डा, रेहड़ा, ठेला		25–00 प्रति दर से
125.	नई हस्त-चालित गाड़ी		13–00 प्रति गाड़ी
126.	ट्रक, मोटर कार, स्कूटर व सभी प्रकार के स्वचालित यंत्रों के अतिरिक्त पार्ट, पुर्जे	35–00	
127.	गड्डा, ठेला, हस्तचालित गाड़ी, रेहड़ा और टांगा के अतिरिक्त पुर्जे	20–00	
	श्रेणी—12		
विविध			
128.	ऐसे ब्रुश जिसका उल्लेख इस अनुसूची में कहीं भी नहीं किया गया है तथा ब्रुश बनाने के काम में आने वाले कूंचा और सामग्री	13–00	
129.	सभी प्रकार के ग्रीस (चिकनाई) और लास्टर सहित रबर घोल		0–01/2 प्रति रु०
130.	कोर्क, हाथी–दांत, सैल-लाइड और इनसे बनने वाली वस्तुएं, हड्डी और सींग, प्लास्टिक शीट, नाईलोन शीट्स सभी तरह के बटन, थर्मोस, प्लास्टिक वाटर कूलर, प्लास्टिक लंच बाक्स और हाट केस आदि	40–00	
131.	शीशे (कांच) हाथी दांत, लाख, प्लास्टिक से बनी चूड़ियां	40–00	
132.	धातु, बूट्स शू (जूते) फ्लोर और मोटर के पालिश	36–00	
133.	सभी प्रकार के खोखले (खाली) कापट पैकिंग केस, टोकरी, चटाई, टीन, ड्रम इस्तेमाल व गैर इस्तेमाल किया हुआ बैरल	5–00	
134.	चीनी मिटटी के बर्तन, ग्लास शीशे के बने बर्तन पत्थर से बने बर्तन, चीनी बर्तन और टेम्पोनेट वायर और इनसे बनी ऐसी वस्तुएं जिनका उल्लेख क्रम संख्या 135 मेंनहीं दिया गया है		0.01/2 प्रति रु०
135.	मर्तबन पतल कटोरी, कुन्डी, जार और सभी प्रकार के जैम अचार निमको और खाली गिलास बोतल में प्रयुक्त होते हैं	11–00	
136.	केन्वस जूते और बेल्ट आदि में प्रयुक्त होने वाले चाक (खड़िया) पाउडर चाक स्टिक (खल्ली)	4–00	
137.	कांच के टुकड़े और इनके पाउडर	3–00	
138.	टाइपराईटर, अनुलिपित्र, साइक्लोस्टाइल मशीन और इसके पार्ट पुर्जे	39–00	
139.	विद्युत चालित टाइपराइटर, अनुलिपित्र साईक्लोस्टाइल मशीन और इनके पार्ट पुर्जे		0–02 प्रति रु०
140.	घड़ी व घड़ी के पुर्जे, घड़ी के शीशे घड़ी के केन स्टेप, दीवार घड़ी समय सूचक और इसके पार्ट–पूर्जे		0–03 प्रति रु०
141.	चश्मे गोगल सभी प्रकार के फ्रेम ताल (लेन्स) जिसमें सभी प्रकार के पावर ग्लास और फ्रेम के अतिरिक्तयों सम्मिलित हैं ।		0–03 प्रति रु०
142.	रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन रिकार्ड, ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) प्रवर्धन तथा इनके पार्ट पूर्जे, संगीत साज समान जिसमें हारमोनियम, तबला, ढोलक बैंजों, सितार और इनके अतिरिक्तयां सम्मिलित हैं ।		0–02 प्रति रु०
143.	सभी प्रकार के टेलिविजन सैट		0–02 प्रति रु०
144.	सिनेमा फिल्म (चल-चित्र)	50–00 प्रति फिल्म	
145.	सभी प्रकार के वातुयान	1000–00 प्रत्येक	

1	2	3	4
146.	छड़ों, छाता, चालन गत्राड़ी और अन्य शिप मछली पकड़ने रोड लीवर टेकलस, वायूयन, सभी प्रकार के खिलौने और सभी तरह के धूमपान केवल पार्थिव हुक्का और नारियल को छोड़कर ।	40–00	
147.	सभी प्रकार के सिलाई–मशीन तथा इसके पार्ट-पुर्जे	20–00	
148.	टूटे फूटे बर्तन और अलोदित धातु के क्षतिग्रस्त टुकड़े, लोहा के बर्तन को छोड़कर पीतल तांबा और अन्य धातुओं से बने सभी प्रकार के टूटे-फूटे बर्तन	25–00	
149.	खेल के सामान जिसमें बलिहारी और अन्तद्वारी खेल सम्मिलित है		0–0 1/2 प्रति रु०
150.	सभी प्रकार के पार्थिव बर्तन और पाश्चब खिलौने	2–00	
151.	बिजली		0–02 प्रति यूनिट
152.	अन्य सभी प्रकार के सामान व वस्तुएं जिसका उल्लेख ऊपरलिखित सूची में न किया गया हो और जिसे न ही छूट प्राप्त हो ।		0–03 प्रति रु०

नोट :—प्रभार, वर्गीकरण आदि के बारे में होने वाले किसी प्रकार के विवाद का निपटारा छावनी अधिशासी अधिकारी जालन्धर छावनी द्वारा किया जाएगा । छावनी अधिशासी अधिकारी का फैसला अन्तिम होगा ।

व्याख्या :—

इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए वस्तुओं में मोटर गाड़ियां तथा पशु शामिल होंगे ।

बशर्ते कि :—

(1) चुंगी कर वस्तुओं के कुल भार जिसमें ड्रम तथा सामान बांधन की अन्य सामग्री भी शामिल होगी ।

(2) रेल द्वारा आए प्रेषण की अवस्था में चुंगी रेलवे रसीद में दर्शाए गए भार पर ली जाएगी ।

(3) जहां प्रेषण में दो या अधिक वस्तुएं होंगी जिन पर अलग-अलग दर से चुंगी कर लगता हो । ऐसे प्रेषण को दो या अधिक भाग रखने वाला माना जाएगा तथा अलग-अलग चुंगी ली जाएगी ।

(4) यहां एक वस्तु जिसका विशिष्ट रूप से अनुसूची में वर्णन न किया गया हो तथा एक से अधिक वस्तुओं के अन्तर्गत आती हो, चुंगी उच्चतम दर वाली वस्तु के आधार पर ली जाएगी तथा यदि आयात करने वाला प्रेषण को खोलने तथा अलग-अलग भार करवाने के लिए सहमत न हो तब उपरोक्त प्रेषण पर चुंगी अनुसूची में वर्णित उच्चतम दर वाली वस्तु के अनुसार ली जाएगी ।

(5) यदि लगाए गए चुंगी कर में एक पैसे का भाग शामिल हो तो ऐसे भाग की बजाए पूरा पैसा लिया जाएगा ।

(6) देय चुंगी की गणना के उद्देश्य के लिए किलोग्राम की इकाई माना जाएगा तथा किलोग्राम के भाग को अगले किलोग्राम के रूप में गिना जाएगा ।

(7) जहां मूल्य के आधार पर चुंगी कर ली जाती है वहां मूल्य में जिस पर चुंगी ली जाती है—बिक्री-कर, सभी किस्मों अन्य कर तथा किसी भी प्रकार का उत्पादन शुल्क भी शामिल होगा तथा आयात करने वाले के द्वारा यातायात आदि पर होने वाला खर्च भी शामिल होगा ।

2. आगे दर्शाया जाता है कि निम्नलिखित वस्तुएं चुंगी कर से मुक्त रहेंगी :—

(1) दाह संस्कार अथवा धार्मिक उद्देश्य के लिए काम आने वाली वास्तविक वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी चर्च, मन्दिर, गुरुद्वारा, सराय अथवा धर्मशाला में किया जाना है ।

(2) नमूने अथवा प्रचार सामग्री ।

(3) जालन्धर छावनी में रहने के लिए आने वाले व्यक्ति को प्रयोग में आने वाली घरेलू वस्तुएं तथा एक रानी की वास्तविक स्वीकृतगत वस्तुएं ।

(4) ईंधन की लकड़ी, उले, शुष्क घास, हरा घास तथा चारा ।

(5) समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाक्षिक तथा प्रकाशित वस्तुएं ।

(6) पांच किलोग्राम तक सिब्जियां भाजी, ताजा फल तथा ताजा सब्जी केवल घरेलू प्रयोग के लिए ।

(7) आम नमक ।

(8) प्रयुक्त औजार कारीगर द्वारा अपने प्रयोग के लिए आयातित तथा बशर्ते कि आयात करते समय एक लिखित बयान इस प्रकार का दिया जाए ।

(9) वस्तुएं जिन पर 0.50 पैसे से कम चुंगी बनती है ।

(10) रेल द्वारा जालन्धर छावनी से भेजे जाने वाली वस्तुएं तथा परेषिती द्वारा स्वीकार-इन्कार करने की अवस्था में वापिस आने पर यदि इस अवसर पर वास्तविक रेल रसीद प्रस्तुत की जाए ।

(11) टिकटें, स्टैम्प पेपर और प्रार्थना पत्र ।

(12) वे वस्तुएं जिनका तत्काल निर्यात के लिए घोषणा की जाती है तथा द्वारगा रेलमार्ग से निर्यात के भीतावना से आयातित की जाती है परन्तु उसी दिन उन्हें रेल अधिकारी स्वीकार नहीं करते ।

(13) रेल द्वारा आयातित प्रेषण यदि दिन गर्दिशी में लिए फिर बुक करवा दिया जाता है अथवा तत्काल उसी दिन पार गमन पास के अधीन उसका निर्यात कर दिया जाता है ।

(14) वस्तुएं जो चुंगी कर सीमा के अन्दर प्रवेश करने से पहले केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार की व्यक्तिगत सम्पत्ति हों अथवा छावनी परिषद जालन्धर छावनी की सम्पत्ति हों यदि उनके साथ चुंगी कर सीमा के अन्दर आते समय नीचे दिया फार्म, जिस पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर हों जिसे केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के सम्बन्धित विभाग से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जो अथवा अधिशासी अधिकारी जालन्धर छावनी के हस्ताक्षर हों जैसा भी अवस्था हो साथ हो तथा उपरोक्त सरकार अथवा छावनी परिषद् जालन्धर छावनी के द्वारा जालन्धर छावनी की सीमा के अन्दर प्रयोग में लाने के लिए लाया जा रहा हो तथा बिक्री के लिए न लाया जा रहा हो । परन्तु जहां वस्तुएं केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के एक विभाग द्वारा लाई जा रही हों एक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत जिसका ऊपर वर्णन किया गया है उस पर चुंगी कर दिए बिना तथा बाद में उक्त विभाग उसे बेच सकता है बिक्री के पश्चात् आने वाले महीने के पहले दिन उक्त सम्बन्धित विभाग अधिशासी अधिकारी जालन्धर छावनी परिषद् बेची गई वस्तुओं मोटर-गाड़ियों तथा पशुओं पर चुंगी कर नहीं लगेगा जिन्हें केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के विभाग ने जालन्धर छावनी परिषद् की सीमा से बाहर निर्यात किया हो ।

स्पष्टीकरण :—इस उपबन्ध के उद्देश्य के लिए उन वस्तुओं को बिक्री में शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय अथवा छावनी परिषद् द्वारा नकद राशि के अथवा समायोजन द्वारा अपने कार्यों में प्रयोग में लाने के लिए ठेकेदारों को दिया गया हो ।

प्रमाण पत्र का फार्म

मैं प्रमाणित करता हूं कि नीचे लिखी वस्तुएं जालन्धर छावनी परिषद् की सीमा में प्रवेश होने से पहले, केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार के विभाग की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं तथा बिक्री के लिए नहीं लाया जा रहा है तथा किसी विभागीय अथवा सरकारी ठेकेदार अथवा पूर्तिकर्त्ता से सम्बन्धित नहीं है न ही उन्हें ठेकेदार की ओर से लाया जा रहा है तथा उन्हें क्योंकि उनको सरकारी कामों में प्रयोग के लिए आवश्यकता है, जालन्धर छावनी परिषद् की सीमा से सम्बन्ध है तथा इसलिए चुंगी कर से विमुक्त हैं :—

1. रेलवे रसीद नं. तथा तिथि
(जहां वस्तुएं गाड़ी के द्वारा लाई जाती हैं)
2. स्टेशन से :
3. भेजने वाले का नाम तथा पता :
4. प्रेषक का नाम तथा पता :
5. पैकेजिंग की संख्या :
6. अन्तर वस्तु :
7. भार :
8. आय वस्तुएं छावनी परिषद् की सीमा के अन्दर निश्चित स्थान पर पूर्तिकर्ता द्वारा दी जाएगी अथवा छावनी परिषद् की सीमा के बाहर स्पष्ट रूप से लिखें :—
9. अभ्युक्ति :

तिथि :
जालन्धर छावनी ।

सरकारी अराजपत्रित अधिकारी
हस्ताक्षर जिसे इस सम्बन्ध
में विभाग के मुखिया द्वारा
अधिकृत किया गया हो

(15) वस्तुएं जो चुंगी कर सीमा के अन्दर प्रविष्ट होने से पहले, कैन्टीन भण्डार विभाग (भारत) की व्यक्तिगत सम्पत्ति हों यदि उनके साथ नीचे दिए गए फार्म पर प्रमाण पत्र संलग्न हो जिस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर हों जिसे इस सम्बन्ध में कैन्टीन भण्डार विभाग के मुखिया द्वारा अधिकृत किया गया हो । जिसमें लिखा हो कि ये वस्तुएं उक्त विभाग की सम्पत्ति हैं तथा इन्हें बिक्री के लिए लाया जा रहा है ।

बशर्ते कि जहां वस्तुएं कैन्टीन भण्डार विभाग (भारत) द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र के अधीन बिना चुंगी कर दिए लाई जाती हैं तथा बाद में छावनी परिषद् की सीमा के अन्दर उक्त विभाग द्वारा प्रयोग, खपत या बिक्री से अगले महीने की पहली तिथि को इस प्रकार बेची गई वस्तुओं का प्रमाण पत्र देगा तथा उन पर देय चुंगी कर अदा करेगा ।

बशर्ते कि विभाग द्वारा जालन्धर छावनी की सीमा से बाहर स्थित कैन्टीनों को प्रयोग, खपत तथा बिक्री के लिए बेची जाने वाली किसी भी वस्तु पर चुंगी कर नहीं लिया जाएगा ।

प्रमाण पत्र का फार्म

मैं प्रमाणित करता हूं कि निम्नलिखित वस्तुएं जालन्धर छावनी परिषद् की सीमा में प्रवेश से पहले, कैन्टीन भण्डार विभाग (भारत सरकार) की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं तथा बिक्री के लिए लाई गई हैं तथा वे किसी सरकारी ठेकेदार अथवा किसी विभाग अथवा पूर्तिकर्त्ता की नहीं हैं न ही उन्हें किसी ठेकेदार की ओर से लाया गया है ।

1. रेलवे रसीद नं. तथा तिथि
(जहां वस्तुओं को ट्रेन द्वारा लाया गया है) ।
2. स्टेशन से :
3. भेजने वाले का नाम तथा पता :
4. प्रेषक का नाम तथा पता :
5. पैकेज की संख्या :
6. अन्तर वस्तु :
7. भार :
8. आया वस्तुएं छावनी परिषद् की सीमा के अन्दर पूर्तिकर्त्ता द्वारा निश्चित स्थान पर दी जाएगी अथवा छावनी परिषद् की सीमा के बाहर स्पष्ट रूप से लिखें :

मैनेजर कैन्टीन भण्डार विभाग (भारत)
के हस्ताक्षर जिसे विभाग के मुखिया
द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया
गया हो ।

(16) सभी संजीव पौधे ।

(17) अपराधिक मुकदमे के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा आयातित वस्तुएं बशर्ते कि उनके साथ एक प्रमाण पत्र हो जिसमें सहायक निरीक्षक से नीचे के अधिकारी के हस्ताक्षर न हों ।

(18) धोबियों द्वारा धुलाई के पश्चात् लाए गए वस्त्र ।

(19) सभी प्रकार के चश्मे । उदाहरण के लिए चश्मे के अनुसार चश्मे, चश्मे के डिब्बे, चश्मे तथा अन्दर चश्मे और उनके अतिरिक्त पुर्जे ।

(20) वस्तुएं जिनका तत्काल निर्यात किया जाना हो तथा इस नियमों के अनुसार निर्यात की गई हों जो इस सम्बन्ध में लागू किए गए हों ।

(21) वैज्ञानिक उपकरण जिन्हें संस्था ने मार्ग में टूट जाने के कारण या किसी कारण से वापिस किया हो बशर्ते कि उन उपकरणों के साथ संस्था का प्रमाण भी हो ।

(22) सरकस तथा दूसरी यात्री कम्पनियों द्वारा प्रदर्शन के लिए आयात की गई वस्तुएं तथा व्यक्तिगत सामग्री ।

(23) सोने और चांदी की सिल्लियां और सिक्के, सोने और चांदी के आभूषण तथा जवाहरात के आभूषण जो बिक्री के लिए नहीं हैं ।

(24) हाथ का बुना तथा हाथ का काता कपड़ा जिसे खड्डियों द्वारा हाथ से काते गए सूत से बनाया गया हो बशर्ते कि उसके साथ पंजाब ग्रामोद्योग के केन्द्र का प्रमाण भी हो ।

(25) भारतीय रैडक्रास सोसाइटी, सैंट जान एम्बूलैंस अथवा किसी अन्य पंजीकृत पूर्त संस्था का आयातित भण्डार ।

(26) मिट्टी, चिचर, साल, ढाक तथा थोर के पत्ते ।

(27) शिकार ।

(28) निर्धनों, अपाहिजों, रोगियों, जख्मियों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों में मुफ्त बांटने के लिए दान की गई वस्तुएं जिन्हें पंजीकृत संस्थाओं ने भेजा हो अथवा आयात किया हो ।

(29) शोक सरकार के सम्बन्ध में आयातित सामग्री ।

(30) बारात द्वारा लाया गया दहेज का सामान ।

(31) निरोध

(32) खाद के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायन जैसे कि सोडियम नाईट्रेट अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम नाईट्रेट सुपर फासफेट आदि जिन्हें कृषि के उद्देश्य के लिए लाया गया हो ।

एस. एस. ग्रेवाल
छावनी अधिवासी अधिकारी
जालन्धर छावनी

भारतीय भेषजी परिषद्

कोटला मार्ग, टेम्पल लेन

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 22 मई 1998

सं. फाईल संख्या 17-1/98-सी. सी. आई./1331-1510—भारतीय भेषजी परिषद् के 26 अप्रैल 1998 को संपन्न हुए 63 वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

अर्चना मदगल
सहायक सचिव

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1079

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
आन्ध्र प्रदेश		
1. श्री वेंकटेश्वर भेषजी महाविद्यालय, 86, माधापुर गांव, शेरीलिंगमपल्ली मण्डल, जिला रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश-500033	60	1995-96 से 1999-2000 तक
2. के० डी० आर० राजकीय बहुतकनीकी, वानापारथी-509 103 (आन्ध्र प्रदेश) जिला महबूब नगर	60	1993-94 से 1999-2000 तक
3. राजकीय महिला बहुतकनीकी, श्रीकाकुलम (आन्ध्र प्रदेश)	40	1993-94 से 1999-2000 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति, बी. आर. के. आर. भवन, साहवां तल, टैंक बंद मार्ग, हैदराबाद-500 029 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

अर्चना मदगल
सहायक सचिव

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई 1080

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
दिल्ली		
1. बाबा हरिदास भेषजी महाविद्यालय, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली-110072	60	1999-2000
2. आदित्य तकनीकी संस्थान 107/9 किशनगढ़, बसन्त कुंज, नई दिल्ली	60	1995-96 से 1999-2000 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, तकनीकी शिक्षा समिति, कस्तूरबा बहुतकनीकी भवन, नजदीक टी. वी. टावर, प्रेम बाडी पुल, पीतम पुरा, दिल्ली-110 034 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई /1081

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गुजरात		
तीलानी भेषजी संस्थान, नजदीक रेलवे स्टेशन, आदिपुर -कच्छ, गुजरात-370205	60	1999-2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, गुजरात विश्वविद्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 4010, अहमदाबाद-380 009 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1083

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
हरियाणा		
देहात विकास भेषजी महाविद्यालय, तिगांव, फरीदाबाद	60	1999-2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निदेशक, तकनीकी शिक्षा समिति, हरियाणा एस. सी. ओ. संख्या 38-39 सैक्टर 17-ए चण्डीगढ़ द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1082

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक		
1. बी० ई० एस० भेषजी संस्थान, 16वां मुख्य चतुर्थ ब्लाक, जया नगर, बंगलौर–560011	60	1999–2000
2. टोगारी वीरभद्रप्पा स्मारक, भेषजी महाविद्यालय, गांधी नगर, बेलारी–583103	60	1999–2000
3. एच० के० ई० संस्था भेषजी महाविद्यालय, महादेवप्पा रामपुरे, मार्ग गुलबर्गा–585105	60	1999–2000
4. दयानन्द सागर भेषजी संस्थान, शाविज मालेश्वरा हिल्स, कनकपुरा मार्ग, बंगलौर–560078	60	1999–2000
5. एम० एम० ए० भेषजी महाविद्यालय, रमनग्राम, जिला बंगलौर	60	1999–2000
6. चेन्नीग्रामया भेषजी महाविद्यालय, मुख्य मार्ग, कोटगिरे, जिला तुमकूर–572129	60	1999–2000
7. रूरल भेषजी महाविद्यालय, डी० एस० मार्ग, देवनहल्ली–562110 जिला बंगलोर रूरल	60	1998–99
8. फारुकिया भेषजी महाविद्यालय, उमर खय्याम मार्ग, मैसूर	60	1999–2000
9. बापजी शैक्षणिक संस्था, पी० ई० ए० भेषजी विद्यालय, देवनगिरे–577004	60	1999–2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् अध्यक्ष, परीक्षा प्राधिकरण समिति, मार्फत औषधि नियंत्रक, पैलेस मार्ग, बंगलौर-560 001 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूपमें पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1084

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
केरल		
1. क्रिसेंट भेषजी महाविद्यालय, मोट्टमब्राग, पुथोरानाडी, डाकघर मदयी, कन्नूर–670304	60	1993–99 के लिए
2. जामिया सलाफिया भेषजी महाविद्यालय, पुलिक्कल–673637	60	1993–99 के लिए

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् अध्यक्ष, भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, मार्फत चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, त्रिवेन्द्रम-695 011 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1085

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
मध्य प्रदेश		
भेषजी संस्थान, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	60	1996-97 से 1999-2000 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् उप कुलपति, जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर-474 001 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करता है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी आई./1086

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
महाराष्ट्र		
1. एस० पी० एम० भेषजी महाविद्यालय (डिप्लोमा) अक्लुज-413101	40	1999-2000
2. यशवन्त राव चौहान भेषजी महाविद्यालय, सावेदी, एस० संख्या 250 (नया) नजदीक नागपुर पुल, नगर मानमद मार्ग, अहमद नगर-414001	60	1994-95 से 1999-2000 तक
3. श्री एस० एस० पी० शिक्षण संस्था, श्रीमती शांताबासई पाटिल भेषजी डिप्लोमा संस्थान, न्यू कैम्पटी-441002 जिला नागपुर	60	1995-96 से 1999-2000 तक
4. अनुराधा भेषजी महाविद्यालय, चिक्कली-443201 जिला बुलदाना	60	1994-95 से 1999-2000 तक
5. सतारा शिक्षा संस्था सतारा बहुतकनीकी मंगलवार पेठ, सतारा-415002	60	1999-2000
6. श्री लक्ष्मणराव पंकर भेषजी संस्थान, आमगांव-441902	60	1999-2000
7. आर० एस० सी० भेषजी संस्थान, दूसरा चौक, कोल्हापुर-416002	40	1999-2000
8. श्री आनन्द भेषजी महाविद्यालय, डाकघर पथारदी-414102	40	1999-2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् सचिव, तकनीकी परीक्षा समिति, राजकीय बहुतकनीकी भवन, 49 खेरवाडी अंतिम ब्रांच जंग मार्ग बांद्रा (पू.) बम्बई-51 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1087 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
उड़ीसा		
1. भेषजिक विज्ञान महाविद्यालय, टमन्डो, भुवनेश्वर, वाया जालना, जिला खुर्दा, उड़ीसा–752054	60	1999–2000
2. भेषजिक विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, पदमपुर, बहुग्राम	40	1990–91 से 1992–93 तक शिक्षा अधिनियम 1981 के अनुसार
3. भेषजी एवं तकनीकी संस्थान, सालीपुर–751202, जिला कटक	60	1999–2000
4. भेषजिक विज्ञान महाविद्यालय, एट बिद्याधिवेशन, पैरीज ड्राइव मार्ग, डाकघर बालीगुआली, जिला पुरी	60	1998–99

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् सदस्य-सचिव, उड़ीसा राय भेषजी समिति, औषधि नियंत्रक प्रशासन निदेशालय, डाक घर सैनिक विद्यालय, नया नन्दन कानन मार्ग, भुवनेश्वर-752 005 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1088 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
पंजाब		
1. अकाल भेषजी एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, मस्तआना साहिब, 148001 (संगरुर पंजाब)	60	1999–2000
2. गुजरांवाला गुरु नानक खालसा भेषजी महाविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नम्बर 272, सिविल लाईन, लुधियाना–141001	60	1999–2000
3. राजकीय महिला बहुतकनीकी, पटियाला–147001	30	1999–2000
4. राजकीय महिला बहुतकनीकी जालंधर–144001	30	1999–2000
5. अमर शहीद बाबा अजित सिंह जुझार स्मारक महाविद्यालय, बेला (रोपड़)	60	1999–2000
6. आदेश बहुतकनीकी, फिरोजपुर मार्ग, मुक्तसर–152026	60	1999–2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् सचिव, पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, 1-ए, सैक्टर-36 ए, चण्डीगढ़ द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1089 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी का अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
राजस्थान		
नेहरू स्मारक महाविद्यालय, हनुमानगढ़ शहर, राजस्थान	60	1999–2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा(2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर-302 001 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1090 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
राजस्थान		
मोहनलाल सुखाड़िया भेषजी महाविद्यालय, उदयपुर	40	1994–95 से 1997–98 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1091 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
तमिलनाडु		
यूनिवर्सिटी भेषजिक तकनीकी संस्थान, अन्नामलाई नगर–608002 (तमिलनाडु)	60	1998–99

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर-608 002 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1092 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
आन्ध्र प्रदेश		
यूनिवर्सिटी भेषजिक विज्ञान महाविद्यालय, काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	60	2000–2001

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद रजिस्ट्रार, काकातिया विश्वविद्यालय, विद्यारण्यपुरी, वारंगल द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

अर्चना मुदगल

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1093 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
गुजरात		
ए० आर० भेषजी महाविद्यालय एवं जी० एच० पटेल भेषजी संस्थान, वल्लभ विद्यानगर–388120	60	1999–2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 10, वल्लभ विद्यानगर-388 120 (जिला खेडा) द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा का, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

अर्चना मुदगल

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1094 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक		
फारूकिया भेषजी महाविद्यालय; फारूकिया शैक्षणिक काम्पलेक्स; उमर खय्याम मार्ग, ईदगाह, तिलक नगर, मैसूर–570021	40	1992–93 से 1998–99 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, मैसूर विश्वविद्यालय, क्राउफोर्ड हाल्स, मैसूर-570 005 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1095 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक		
1. एम० एस० रमया, भेषजी महाविद्यालय, एम० एस० आर० आई० टी० पोस्ट, बंगलौर-560 054 ।	60	1993-94 से 1998-99 तक
2. गौतम भेषजी महाविद्यालय, बंगलोर ।	60	1993-94 से 1998-99 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् (1) रजिस्ट्रार बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर एवं (2) रजिस्ट्रार राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चतुर्थ "टी" ब्लाक जयानगर, बंगलौर-560 041 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1096 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदन घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक		
1. एच० के० ई० भेषजी महाविद्यालय, गुलबर्गा (कर्नाटक) ।	60	1999-2000
2. कर्नाटक भेषजी महाविद्यालय, बिदर-585403 ।	60	1997-98

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, ज्ञान गंगा, गुलबर्गा एवं रजिस्ट्रार राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चतुर्थ "टी" ब्लाक जयानगर, बंगलौर-560 041 द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1097 ।

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
कर्नाटक बी० ई० ए०; बापूजी भेषजी महाविद्यालय, दावेनगेरे-577 004 ।	60	1992-93 से 1999-2000 तक

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर-41 एवं कुवम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1098

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
मध्य प्रदेश		
भेषजिक विज्ञान विभाग, डा० हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर–470 003 ।	50	1999–2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, डा. एच. एस. गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470 003 (मध्य प्रदेश) द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

अर्चना मुदगल

प्रस्ताव 63/पी. सी. आई./1100 ।

(1) भेषज अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
उड़ीसा		
कनक मंजरी, भेषजिक विज्ञान संस्थान, छिंड, राउरकेला–769 015 ।	60	1998–99

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, संबलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति बिहार, बुरला (उड़ीसा) द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1100

(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
केन्द्र शासित प्रदेश		
यूनिवर्सिटी भेषजिक विज्ञान संस्थान, (भूतपूर्व भेषजिक विज्ञान विभाग), पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।	50	2000–2001

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् रजिस्ट्रार, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़-160 014 द्वारा उपरलिखित सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिग्री परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

कर्नाटक

एच. एम. एस. भेषजी महाविद्यालय, शैट्टीहाली मार्ग, तुमकूर

प्रस्ताव संख्या 63/पी. सी. आई./1101—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 13 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् घोषित करती है कि एच. एम. एस. भेषजी महाविद्यालय, शैट्टीहाली मार्ग, तुमकूर द्वारा संचालित फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम अध्यक्ष, परीक्षा प्राधिकरण समिति मार्फत औषधि नियंत्रक कार्यालय, कर्नाटक, पैलेस मार्ग, बंगलौर-560 001 (कर्नाटक) द्वारा आयोजित उपर्युक्त संस्थान की डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित समझी जाएगी जब 1996-97 शैक्षणिक सत्र तक दाखिल हुए छात्र 1998 तक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें ।

कर्नाटक

अल—फला भेषजी महाविद्यालय, हुबली

प्रस्ताव सं. 63/पी. सी. आई./1102—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 13 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् घोषित करती है कि अल—फला भेषजी महाविद्यालय, हुबली द्वारा संचालित फार्मेसी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम अध्यक्ष, परीक्षा प्राधिकरण समिति, मार्फत औषधि नियंत्रक कार्यालय, कर्नाटक, पैलेस मार्ग, बंगलौर-560001 (कर्नाटक) द्वारा आयोजित उपर्युक्त संस्थान की डिप्लोमा फार्मेसी परीक्षा तभी अनुमोदित समझी जाएगी जब 1992-93 शैक्षणिक सत्र तक दाखिल हुए छात्र 1994 तक उक्त पाठ्यक्रम को पूरा कर लें अथवा उक्त परीक्षा पूरी या पास कर लें ।

प्रस्ताव सं. 63/63 पी. सी. आई./1103—(1) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करता है ।

संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित
तमिलनाडु		
टैक्सीटी पैरामैडिकल साइन्सीज महाविद्यालय, सामने करूप्पारायान कौंडल, पोदानूर मार्ग, कोयम्बटूर–23.	40	1999-2000

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद अध्यक्ष, भेषजी डिप्लोमा परीक्षा समिति, मार्फत चिकित्सा शिक्षा निदेशक, मद्रास द्वारा उपरोक्त सत्र तक आयोजित फार्मेसी में डिप्लोमा परीक्षा को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है ।

अर्चना मुदगल
सहायक सचिव

STATE BANK OF TRAVANCORE

(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)

Thiruvananthapuram, the 4th June 1998

NOTICE

The thirtyeighth Annual General Meeting of the Shareholders of the State Bank of Travancore will be held in the Tagore Centenary Theater, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram-695 014 on Friday, the 10th July, 1998 at 11.30 a.m. (Standard Time) to transact the following business :

"To receive the Report of the Board of Directors, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made upto the 31st March 1998 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

G. G. VAIDYA
Managing Director

Thiruvananthapuram
06-06-1998

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 3rd April 1998

No. R-12/16/9/85-Ins.I—It is notified for general information that the Employees' State Insurance Corporation at its meeting held on 23rd December, 1997, passed the following Resolution :—

"In pursuance of the provisions under Section 99 of the ESI Act, 1948, the E.S.I. Corporation hereby resolves that the amount of periodical payments of Permanent Disablement and Dependants' Benefit sactioned under the provisions of the said Act in the cases where the employment injuries resulting in disablement or death occurred on or before 31-12-1995 shall be enhanced to the extent indicated in the proposal which is as under :—

Year of Disability/Death	Total Increases effected so far	Extent of increase now proposed
1	2	3
1. Case where disablement or death occurred on or before 31-12-1952.	904%	1931% of the basic amount (including previous increase)
2. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1953 and upto 31-12-1953.	882%	1884% of the basic amount (including previous increase)
3. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1954 and upto 31-12-1954.	928%	1980% of the basic amount (including previous increase)
4. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1955 and upto 31-12-1955.	977%	2085% of the basic amount (including previous increase)
5. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1956 and upto 31-12-1956.	893%	1907% of the basic amount (including previous increase)
6. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1957 and upto 31-12-1957.	841%	1797% of the basic amount (including previous increase)
7. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1958 and upto 31-12-1958.	803%	1717% of the basic amount (including previous increase)
8. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1959 and upto 31-12-1959.	776%	1661% of the basic amount (including previous increase)
9. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1960 and upto 31-12-1960.	760%	1626% of the basic amount (including previous increase)
10. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1961 and upto 31-12-1961.	728%	1560% of the basic amount (including previous increase)
11. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1962 and upto 31-12-1962.	706%	1513% of the basic amount (including previous increase)
12. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1963 and upto 31-12-1963.	685%	1469% of the basic amount (including previous increase)
13. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1964 and upto 31-12-1964.	596%	1281% of the basic amount (including previous increase)
14. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1965 and upto 31-12-1965.	538%	1160% of the basic amount (including previous increase)
15. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1966 and upto 31-12-1966.	483%	1043% of the basic amount (including previous increase)
16. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1967 and upto 31-12-1967.	416%	903% of the basic amount (including previous increase)
17. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1968 and upto 31-12-1968.	403%	875% of the basic amount (including previous increase)

1	2	3
18. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1969 and upto 31-12-1969.	409%	886% of the basic amount (including previous increase)
19. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1970 and upto 31-12-1970.	385%	838% of the basic amount (including previous increase)
20. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1971 and upto 31-12-1971.	374%	813% of the basic amount (including previous increase)
21. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1972 and upto 31-12-1972.	346%	754% of the basic amount (including previous increase)
22. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1973 and upto 31-12-1973.	287%	631% of the basic amount (including previous increase)
23. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1974 and up to 31-12-1974.	209%	468 % of the basic amount (including previous increase).
24. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1975 and upto 31-12-1975.	196%	438% of the basic amount (including previous increase)
25. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1976 and upto 31-12-1976.	217%	483%of the basic amount (including previous increase)
26. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1977 and upto 31-12-1977.	196%	438% of the basic amount (including previous increase)
27. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1978 and upto 31-12-1978.	189%	425 % of the basic amount (including previous increase)
28. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1979 and upto 31-12-1979.	174%	393% of the basic amount including previous increase)
29. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1980 and upto 31-12-1980.	150%	343% of the basic amount (including previous increase)
30. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1981 and upto 31-12-1981.	126%	218% of the basic amount (including previous increasse)
31. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1982 and upto 31-12-1982.	113%	197% of the basic amount (including previous increase)
32. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1983 and upto 31-12-1983.	94%	168% of the basic amount (including previous increase)
33. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1984 and upto 31-12-1984.	82%	150% of the basic amount (including previous increase)
34. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1985 and upto 31-12-1985	75%	138% of the basic amount (including previous increase)
35. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1986 and upto 31-12-1986	64%	121% of the basic amount (including previous increase)
36. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1987 and upto 31-12-1987	54%	105% of the basic amount (including previous increase)
37. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1988 and upto 31-12-1988	46%	92% of the basic amount (including previous increase)
38. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1989 and upto 31-12-1989.	37%	79% of the basic amount (including previous increase)
39. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1990 and upto 31-12-1990.	29%	66% of the basic amount (including previous increase)
40. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1991 and upto 31-12-1991.	19%	49% of the basic amount (including previous increase)
41. Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1992 and upto 31-12-1992.	10%	36% of the basic amount (including previous increase)

1	2	3	4
42.	Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1993 and upto 31-12-1993.	NIL	29% of the basic amount
43.	Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1994 and upto 31-12-1994.	NIL	20 % of the basic amount
44.	Cases where disablement or death occurred on or after 1-1-1995 and upto 31-12-1995.	NIL	11% of the basic amount

Resolved further that the enhanced rates of Permanent Disablement Benefit and Dependants' Benefit, as the case may be, shall be effective from 1-8-1997.

Authenticated under Section 7 of the Employees' State Insurance Act, 1948.

D. C. GUPTA, Dir. General

The 7th April 1998

No. U-16/53/93/M.II (Guj)—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. P. V. Solanki to function as Medical Authority for Rajkot centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 4-1-1998 to 3-1-1999 or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) for the purpose of mecial examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH, Medical Commissioner

The 21st April 1998

No. U-16/53/1/97-M.II(T.N.)—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the following doctors to function as Medical authority at a monthly remineration in accordance with the norms w.e.f. the dates given below for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose of medical examination the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

Sl. No.	Name of Doctor	Period	Name of Centre
1.	Dr. C. Premavathy	1-4-98 to 31-3-99	Vellore

DR. (MRS.) S. SINGH, Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

A EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the 14th May 1998

No 2/1959/DLI/Exempt./89/Pt. I/132.—WHEREAS, the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Sction (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Delhi from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P. F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Sumitomo Corporation 4th Floor, Kailash Building, 26 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1.	DL/1654	1-12-88 to 30-11-91 1-12-91 to 30-11-94 1-12-94 to 30-11-97	2/2090/89/DL
2.	M/s. Kwality Restaurant & Ice Cream Company, 29, Hanuman Road, New Delhi-110001	DL-503	1-3-89 to 29-2-92 & 1-3-92 to 28-2-95 & 1-3-95 to 28-2-98	3/15/97/DLI
3.	M/s. Sir Ganga Ram Hospital Rajinder Nagar, New Delhi-60	DL-3399	1-7-89 to 30-6-92 1-7-92 to 30-6-95 1-7-95 to 30-6-98	3/16/97/DLI
4.	M/s. Gabrial India Ltd., 1, Sri Aurbindo Marg, Hauzkhas, New Delhi-110016.	DL/7433	1-8-90 to 31-7-93 1-8-93 to 31-7-96	3/17/97/DLI
5.	M/s. Dabur Pharmaceuticals Ltd., 3, Facrory Road, Near Safdarjung Hospital New Delhi-29.	DL/9420	1-9-89 to 31-8-92 1-9-92 to 31-8-95 & 1-9-95 to 31-8-98	31-8-97/DLI
6.	M/s. Gava Enterprises, C-2/9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052	DL/8616	1-10-90 to 30-9-93 & 1-10-93 to 30-9-96	3-/19/97/DLI
7.	M/s. The Khattri Co-Operative Urban Bank Ltd., 2/42, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-2.	DL/16085	1-2-97 to 31-1-2000	3/20/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before given his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case without one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt I/124.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Regional Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II annexed hereto the Regional Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE I

S. No	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s. Asoinwall & Co. Ltd. P. O. Box No. 2, Cochin-682001, Kerala (India)	KR/1714	2(1959)DLI/Exem/89/ pt-I/1496 Dated 4-9-91	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94 1-1-95 to 31-12-97	DLI/2/3777 97/1/KR
2.	M/s. Asoinwall & Co. Ltd. P. O. Box No. 2, Cochin-682001, Kerala (India).	KR/1783	2(1959)DLI/Exem/89/ Pt-I/1496 Dated 4-9-91	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94 1-1-95 to 31-12-97	DLI/2/3777/ 97/2/KR.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

The 14th May 1998

No. 2/4472/DLI/AP/92/143—Whereas M/s. Foods Fats & Fertilisers Ltd., (AP/1982) has been granted extension under Section 17 (2A) of the Employees' Provident Funds & Misc. Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And Whereas the employer renewed the master policy upto 28-2-92 and reverted back to implementing statutory E. D. L. I. Scheme.

In view of the above I, C. P. F. C. cancelled the above said w. e. f. 1-3-1992.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/78—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of the Notification vide which Exemption was Granted/Extended	Date of Expiry	Period for From	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. M. R. Punja Industrial Training Institute. Post Mulky-574154 D.K.	KN/12821	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt.I/dt. 18-9-97.	31-12-96	1-1-97 to 31-12-99	6/17/DLI/96

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the Nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 15th May 1998

S. R. O. JCB/OCTROI/437/C—Whereas a Public notice relating to the revision of Octroi tax within the limits of Jalandhar Cantonment was published on 26th November, 1997 by affixing of copy thereof in a conspicuous part of the Cantonment Board, Jalandhar, as required by Section 61 read with section 255 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) for inviting Objections and Suggestion from all persons likely to be affected hereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice.

AND WHEREAS, the objection and suggestions received from the public on the said draft have been duly considered by the Contonment Board, Jalandhar.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act, the Cantonment Board, Jalandhar, with the previous sanction of the Central Government and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence number S. R. O. 11 (E) dated the 07th April, 1989, hereby revise the Octroi within the limits of Jalandhar Cantonment at the rates given in the Schedule annexed hereto.

SCHEDULE

S. No.	DESCRIPTION OF ARTICLES/GOODS	RATE OF OCTROI WITHOUT REFUND BY WEIGHT ADVALOREM PER 100 KILOGRAM/
1	2	3
	CLASS—I	
	ARTICLES OF FOOD AND DRINKS	
1.	Gram, Maize, Barley, Paddy and Jawar.	0.20
2.	Atta (Flour) of Wheat, Gram, Maize, Barley and Jawar.	0.55
3.	Any other foodgrain other than those provided in Serial No. 1.	1.50 (Dalia will included in this item)
4.	Flour (Atta) of any foodgrain other than those provided in Sr. No. 2.	1.50
5.	Suji, Maida, Rawa, Chawal, Parched Gram.	2.00
6.	Basin.	1.05
7.	Husked Rice of all kinds.	1.50
8.	Unhusked rice, brand of all kinds including waste gram and Maize and Rice, Pulses of all kinds, whole or crushed).	1.40
9.	Pepper, Barian, Samiyan	16.00
10.	Refind Sugar of all kinds including Leaf, Sugar, Misri and Patasa.	5.00
11.	Icing Sugar, Candy Sugar contained in Tins, Cans, Bottles, Boxes and Sugar Cubes.	3.50
12.	Un-refined Sugar of all kinds including Gur, Shakar, Sheera, Moenja, Rab, Talauncha and Sugarcane Juice.	2.00
13.	Country Sweet Meats including parched Grams etc. coated with Sugar Gur, Shakar and Salted Fried Goods.	16.00
14.	Desi Ghee, Khoa and Cream.	20.00
15.	Hydrogenated Oil of Ground Nuts and Coconut including all kinds of Refined oils and all kinds of Ghee other than those provided in Sl. No. 14.	14.00
16.	Karwa Oil, Mitha Oil, Linseed Oil meant for human or animals consumption including Vegetable Oil of all kinds.	10.00
17.	Fresh Milk, Skimmed or un-skimmed curd.	2.00
18.	Betal Leaves.	40.00
19.	Betal Nuts and Katha.	40.00
20.	Tea of all kinds.	20.00

1	2	3	
21.	Condiments of all sorts in packets or Tins.	30.00	
22.	Condiments such as Dhania, Ajwan, Methi, Sounf, Imli, Kalonji, Red Chilli, Amchur, Haldi including its powder leased.	10.00	
23.	Desi Achar, Murabba and Ark of all kinds packed or loose.	15.00 25.00	(Loose) (Packed).
24.	Ground Nuts Mungphali:—		
	(a) Peas only (without Shell)	6.00	
	(b) Pods and Peas (with Shell)	1.50	
	(c) Roasted Ground Nut (With Shell)	6.00	
25.	Un-refined Honey including Honey Combs.	42.00	
26.	Bread (Double Roti) and Bund.	5.00	
27.	Cotton Seeds, Oil Seeds, Fooder, Seeds, Oil Cakes and Murgidana.	1.50	
28.	Dry Fooder.	1.00	
29.	(a) Pistachio, Nuts, Kernels of Almonds, Almond, Akhrot, Kigri, Charomagas all kinds of dry Fruit.	50.00	
	(b) Vegetables including Khumb, Dhingress, Guchies, all kinds of Nuts and their kernels.	35.00	
30.	Confectionery, Sweetment, Biscuits, Cakes, Coffee, Essances, Cheese, Milk condonsed, Butter, Jams, Honey, refined, preserved fruits packed in Tins, Bottles, cans or Card Boards or packed in any other shape, preserved Fish and Meat, Potato chips of all kinds.	45.00	
31.	All kinds of Grocery (Kariana) including ogla Nishasta, Squashes, Sarbat, Sauce, Chatni and all kinds of tin juice and packed juice.	35.00	
32.	Dhoop, Agarba i, Havan Samagri	16.00	
33.	Ice.	1.00	
34.	Ice cream Kulfi Candies of all kinds, Ice Cream Bricks etc.	5%	Advaloream
35.	All kinds of Areated water such as Thumbs Up, Limca, Gold Spot, Citra, Maaza, Campa Cola etc. including Soda Water.	5%	Advalorem
36.	Frush Fruit of all kinds.	10.00	
37.	Fresh Vegetable of all kinds.	2.50	
38.	Fresh Meat of all kinds of Fish. (Meat not for Sale).	25.00	
39.	Eggs.	25.00	
40.	Liquor and Intoxicating Drugs of all kinds including Beer, Rum, Whisky, Sheera etc.	16%	Advalorem.
41.	Methylated Spirits.	3%	Advalorem.
42-A.	Sugarcane, Unriped Desi Mangoes for Pickles.	2.50	

CLASS—II

ANIMALS AND BIRDS

1	2	3	
42.	Poultary, Ducks, Geexe, Turkeys and Birds.	30.00	Per Qtl.
43.	Sheep, Goat, Dumba, Pig.	5.00	Per Tail/Each.
44.	Any other quardrupeds other than those provided at S. No. 43.	10.00	Do.

CLASS—III

ARTICLES USED FOR FUEL LIGHTING AND WASHING

1	2	3	
45.	Charcoal, Coke, Steam Coke, Hard Coke, Soft Coke, Slaked coke, Coke, Wood Fuel 'Keri' and Saw dust, cow dung.	1.00	
46.	Wax, Tallow. Wax Candles, Calcium Carbide, Parafin Wax.	35.00	
47.	Match Boxes of all kinds.	7.00	
48.	Stoves of all kinds, Lamps, and Lanterns including Gas Lamps of every kind and spare Parts thereof wick, torches and Battery cells including Spare parts thereof.	35.00	
49.	Sajji, Reitha, Kishta and Rehai, including black-salt.	3.00	
50.	Soda, Potash, Caustic Soda, Soda-Ash, Soda Silicate, Alum, Soap Stone, Soap Nut, Bleaching Powder sodium and Potasium Carbonate and plaster of paris.	8.00	
51.	Washing Soap of all kinds including Bar Soap.	10.00	
52.	Toilet Soap, Medicated Soap, Detergent Cake, Packed Washing Powder of all kinds including Surf, Det, Sway, Lux and all other brands of Washing Powder, Sunlight and 501 Soap and all Soaps other than provided in Serial No. 51.	32.00	
53.	Fire work and Gun Powder.	1%	
54.	Kerosene Oil, Mineral Oil, Crude Oil, Motor Spirit, Petrol used in Aeroplane and other fuel oils including Mobil Oil.	1%	
54A.	Diesel and Petrol.	1%	
55.	Liquid Petrolium Gas i.e. Indane Gas and other Gas of every kind in Cylenders used for fuel & light purposes.	3.00	Each Cylinder
56.	Gas Stoves and Accessories.	35.00	
57.	All kinds of Gas Cylenders other than fuel or cooking Gas.	3.00	Each Cylinder

CLASS—IV

ARTICLES USED IN CONSTRUCTION, BUILDING AND ROADS

58.	Bamboo and Articles made thereof including Lathies and Wooden packing cases.	5.00	
59.	Sun-dried bricks.	2.00	Per thousand.
60.	Building stone of every kind slate Line, concrete Kankar, Bajri, Brick Blast (Rori) used in the building and roads.	40.00	Per Truck.
61.	Burnt Bricks or Unburnt Bricks including patri, Nali, Pinjra, Chokar, Tiles	5.00	Per thousand.
62.	Cement, Surkhi, Unslaked lime.	1.00	Per Bag.
63.	White Cement.	2.00	Per Bag.
64.	Thatching Grass, Sarkandas Kanas, Munj Hamp, Sunkukra, Jute and Palm Fibre including Sirki.	8.00	
65.	Ban of all kinds, Sutli, Canrope, Twin Jute Rope and all other articles made of Cane, Sutli Twin and Jute other than those provided in Serial No. 64.	5.00	
66.	Sunmica Sheets, Plywood sheets, Hard Board sheets, Bakolite sheets and other sheets of similar type.	16.00	

1	2	3	
67.	Asbestos Celotex and rod roofing and other similar sheets ordinary used for ceiling purposes, AC Pipes and sheets an other articles made of Cement, other than those provided in Serial No. 66.	13.00	
67-A.	Chips (Floor chips)	1.00	per Bag of 25 K.g.
67-B.	Bathroom Tiles in Sanitary Items.	1%	
68.	Varnish, Turpantine Oil, Dry Colour used for white washing purposes, double linesed oil and distempering material, all kinds of paints, natural indige, Mineral Turpentine, polish Dry Colour and other materials used in painting and polishing.	20.00 (Dinatured spirit will count in Sr. No. 68).	
69.	Glass Pane s and sheets of every kinds.	12.00	
70.	Sanitary Fittings (Perceline items only).		
	(a) Large Size. (b) Medium Size. (c) Small Size.	15.00	
71.	Sanitary fittings (other than perceline items), including S.W. Pipes.	15.00	
72.	Rosin and Resin.	7.00	
73.	Hirmachi, Hejlita Hira Kasis Lac and Sealing Wax.	6.00	
74.	Gajni Mitti, Kharia Mitti, Pandomitti, Geru, Nirmali, Peli Mitti, Ramraj, Chalk Mitti, Fire Clay, China Clay.	2.00	
75.	Charpai, Takhatposh, Wooden Articles of Kitchen Equipments, Wooden Pawas, Bahies of all description sawn or unsawn, squared or un-squared and Kharwan including other articles made from wood.	7.00	
75-A.	Timber of all kinds including logs, Planks, Sawn or un-sawn, squared or unsquared, Dam Dam.	4.00	
76.	Furniture of all kinds (other than those provided in Sl. No. 75) made of wood and Sunmica including Table, Chairs, side Racks, Table-Racks, shoes Racks, Book shelf, Sofa, sets, Tea Poys, Almirah, hat Racks, Plang, cough, Wooden Box, Drawers Cradles, Dressing Table, Kurta in Hanger, Picture frames wood used for frame including made of iron/ steel.	16.00	
77.	Sand, Badarpur Sand or any other sand used in the preparation of Cement mixture for building and roads or otherwise.	25.00 5.00 2.00	Per Truck Load. Per Cart load Per Hand Cart
78.	Coalter, Bitumen, Colox and other road surfacing material including tarfelt. shel fire.	7.00	
79.	Solgumen oil and other similar worm killers products used for the preservation of wood including aldrex used in foundation.	35.00	
80.	Iron and steel including pipe, wire, rope, Bar Sheets, Garders, Angle Iron, Tees including Weights, moulding chipping and waste pieces, pig iron mill and chakki stone cast iron, or unfinished goods of Cast iron and black iron sheets.	11.00	
81.	Galvanised sheets (Jisti sheets).	11.00	

CLASS—V

DRUGS, PERFUMES AND COSMETICS

82.	All kinds of patient medicines or manufactured drugs (Allopathy or Homeopathic) gold and silver leaves and Unani and Ayurvedic Medicines.	45.00	

1	2	3	4
83.	All kinds of surgical instruments scientific Apparatus opticals and Dentistory Instruments.	3%	Advalorem
84.	Surgical cotton, Lint, Gauge and Bandages.	20.00	
85.	Hair Oil and Cream of all descriptions perfumery, Scents, Toilet requisities of all descriptions, tooth paste, tooth-brushes, tooth powders, Shaving requisits face Cream and Snow face powder, lip-sticks hair Shampoo, Nail Polish, bindies, puffs, blades, razors, prophylectics and other cosmetics including articles of the general merchandies of all kinds.	42.00	
86.	All kinds of Chemicals, acids glycerine, caster oil, all kinds of dis-infactents, insectisides, pesticide, liquid parafine.	45.00	
	CLASS—VI		
	GOTA KANARI, TEXTILE FABRICS AND MANUFACTURED ARTICLES OF CLOTH		
87.	Laces of all kinds, tapes Ribbons, fur, gloves, belts, leather or nylon necties, Kenary goata, silma and stara, Kalabtum, Kaitun, badges of all kinds for army, police and other Government departments.	52.00	
88.	Carpets, durries, rugs, newar, tents, cancas, oil cloth and Water proof cloth and material tarapauline, book binding cloth tracing cloth, tonga and motor head cloth, cotton rope and harison cloth of all kinds.	25.00	
89.	Unserviceable or condemned and old cloth made of linen, cotton, wool blankets, tarpaulines, groundsheets, darries, tent, boots, sadlary, canvas, bag, leather scraps, old mosquitoes nets and other Military equipments.	10.00	
90.	Other condemned articles of Military other than those provided in Sl. No. 89.	8.00	
91.	Cloth of all kinds including Cotton, Woolen, silken including Saries and Dhoties Embroidared and unembroidered.	30.00	
92.	Clothes of all kinds (Ready Mades)	30.00	
93.	Kapas, raw cotton and sible.	1.50	
94.	Ginned Cotton including waste cotton and waste thread.	2.50	
95.	Gunny Bags.	3%	Advalorem.
	CLASS—VII		
	TABACCO AND CIGARETTES		
96.	Manufacture tobacco including tobacco leaves, ropes and dust.	3%	
97.	Cigaretrs and Cigars and Bidies of all kinds.	3%	
98.	Zerda, Snuff, Scented Tobacco, Chewing Tobacco.	2%	
	CLASS VIII		
	LEATHER ARTICLES—RUBBER AND CANVAS		
99.	Row hides, Raw Skins, flashing natural bones, natural guts.		5.00
100.	Dressed hide and manufactured leather		25.00
101.	Articles made of leather fur skins, artificial leather including shoes sandles, chappals, boots.		40.00

1	2	3	4
102.	Attachei cases of all kinds including Brief cases, Hand Bags and holdals Rubber Foam goods, Thermocole of all kinds and articles made thereof.		40.00
103.	Tyres and Tubes of all Vehicles.		35.00
	CLASS-IX		
	METAL ARTICLES MADE OF METAL, UTENCILES AND HARDWARES.		
104.	Metal and articles made wholly or partly thereof including utensils of all kinds made from brass, copper, aluminium, kansi, Steel (Stainless), Bharat. Silver, German-Silver-electro plated metal, Silver, wars and cutlarry.		32.00
105.	Rolled gold and imitation gold and silver ornaments and articles wholly or partly made of rolled gold, german gold, immitatic gold and silver.		3%
106.	Enamel Wares.		25.00
107.	Hardware goods, tools and other accessories of all kinds, including hammers, sand file screws, Phanas, saws, iron nut and bolts, wrench, nail, wire nails. of all kinds.		12.00
108.	Sheets and bars of all other metal such as brass, copper, Bronze, Zinc, Lead, Tin and German Silver.		20.00
109.	Articles made of Iron, Iron pipe including balties, trunks, suits cases tawa, Parat, Angiti, Karchii, Chimta, Semdasi, Bathing Tub, Conduit Pipes, Iron press, other than Electricals Press.		12.00
110.	Articles made of galvanized Iron, i.e. Balties, Trunks, Suit cases, Parat, Flexible pipe (G I. Pipe), Bathing Tub, Drum and other galvanized articles.		12.00
111.	Electric Motors, Fans. Heaters, Angithies and their spare parts wires, electrical accessories, Cables insulated or otherwise. earthern and proclaim insulators or any other material used in the installation of electrical energy, Switches, motor plugs, lamps tubes, belts etc.		1%
112.	Electric Madhini, Mixy, Press, Heat convertor and all kinds of Generator sets, Refrigerators, Air conditioners, Air Coolers, Washing Machines, cooking Range, Stablizer.		3% Advalorem.
113.	Electric casting capping, buttons clips, board, round block, gutties all made of wood or any other material.		5.00

1	2	3	4
		CLASS-X	
	STATIONERY AND PAPERS		
114.	Maps, Calendars, Table Diaries of all kinds, printed Paper bags printed material of all kinds, blank papers of all kinds including wall and coloured papers, Fountain pens, Ball Pens, Pencils, Ink Pencils and other Stationery Articles.		25.00
115.	Waste Papers, Pastermill Boards, Straw Board Card Board and Boxes of Card Boards.		10.00
116.	Pictures, Photographs including Photographic material and articles works or arts of every descriptions paper, Card Board, Straw Board or on the Tracing Cloth and Tracing Papers.		50.00
		CLASS—XI	
	MACHINERY OF VEHICLES.		
117.	All kinds of machinery including Agricultural, Industrial and other Machinery and their parts and oil Engine or parts thereof.	13.00	
118.	New Tractors.	125.00	Each.
119.	New Motor Cars, Lorries, Trucks.	600.00	Each.
120.	New Motor Cycles, Side Cars Scooters, Auto Rickshaws, Tempoo etc. or disposed off by the Govt. Departments or otherwise.	60.00	Each.
121.	All kinds of Plastic articles including Plastic Trycycles.	40.00	
122.	New Cycles, Parambylators, Cycle rickshaws and accessories thereof.	30.00	(Per Quintal)
123.	New Mechnaical Cycles (Moped) with power or Motor.	60.00	Each.
124.	New Tonga, Gadda, Rehra, Thela.	25.00	
125.	New Hand Carts.	13.00	Each.
126.	Spare Parts of Trucks, Motor Cars, Scooters and all type of Auto Parts	35.00	
127.	Spare Parts of Gadda, Thela, Hand Carts, Rehra and Tongas.	20.00	
		CLASS—XII	
	MISCELLANEOUS		
128.	Brushes not specified elsewhere in the Schedule, Brooms and material for making the same.	13.00	
129.	Greese of all kinds and rubber Solution including pasters.	1/2%	
130.	Cork, Ivory, Celluloid and articles made therefrom, the articles of bone and horns, plastic sheets, nylon sheets, buttons of all description Thermos, Plastic water cooler, plastic Lunch pack, plastic Hot case.	40.00	
131.	Bangles made of glass, Ivory lac plastic etc.	40.00	
132.	Polishes of metal, Boots, Shoes, Floor and Motors.	36.00	
133.	Empty wooden paching cases of all kinds, baskets, chatai, tin, drums, berrels, used or un-used.	5.00	
134.	Crockery, Glass, Glass-ware, Stonewares, Chanese and Tempentents wares and articles made therefrom other than those provided in S. No. 135.	1/2%	

1	2	3
135.	Murtban, Piales, Katories, Kundi Jars, used for Jams, Pickles, acids any empty glass, bottles of all kinds.	11.00
136.	Chalk Powder, Chalk sticks, Blanco for shoes and Belts etc.	4.00
137.	Glass broken and powder thereof.	3.00
138.	Typewriters, Duplicators, Cyclostyle Machines (Manual) and parts thereof.	39.00
139.	Typewriter, Duplicators, Cyclostyle Machines (Electrical) and Parts thereof.	2%
140.	Watches and parts thereof, watch glasses chains, straps for watches clocks time piecess and parts thereof.	3%
141.	Spectacles, Goggles, Frames of all kinds, Lens including Power glasses of all kinds of accessories thereof.	3%
142.	Radio, Transistors, Gramophones records, Lound Speakers, Amplifiers and parts thereof, Musical Instruments including Harmonium, Tabla, Dholak, Benjo, Sitar and their accessories.	2%
143.	Television sets of all kinds.	2%
144.	Cinema Films.	50.00 per Film.
145.	Air Craft of every kinds.	1000/- Each.
146.	Walking Sticks, Umbrellas, Driving Riding and other whips, fishing rods lever tackles, Air Guns, Toys of all kinds and smoking requisite of all kinds except Earthern Huqqa and Naryal.	40/- per 100 Kg.
147.	Sewing Machines of all kinds and their accessories/parts.	20/-
148.	Broken vessels and damaged parts of non-ferrous metals broken and damaged utensils of all kinds (Bartan Phoot) Brass, Copper and other metals except iron scraps.	25/-
149.	Articles of sports, Games both outdoor and Indoor.	1/2 % Advalorem.
150.	Earthern Pots and Earthern Toys of all descriptions.	2/-
151.	Electricity.	0.02 per Unit.
152.	Any other goods and article not specified in the Schedule or exempted.	3% Advalorem.

Note:—In case of any dispute as regards Octroi Charges or their classification, the decision of the Cantonment Executive Officer shall, be final.

EXPLANATION :

(1). (i) For the purposes of this notification goods shall include motor vehicle and animals;

(ii) The octroi shall be charged on the gross weight of goods including the weight of packing drums and other articles used in the packings;

(iii) in case of consignment brought by rail, octroi shall be charged on the actual weight shown in the railway receipt;

(iv) where consignment consists of two or more articles chargeable at different rates, such consignment shall be treated as consisting of two or more part and shall be charged separately;

(v) Where an articles not specifically mentioned in the Schedule falls under more than one item, the octroi shall be charged under the item carrying the highest rate and in case the importer may not be willing have it opened and weighed separately the octroi in the said consignment shall be chargeable at to the highest rate shown in the Schedule;

(vi) for the purpose of computing the octroi payable one kilogram shall be taken as the unit and part of a kilogram shall be rounded off to the next higer kilogram.

(vii) where the octroi is charged on advalorem basis, the value on which octroi tax is to be calculated shall include Sales Tax all other taxes and Excise Duty and the expenses involved on account of transport charges etc. incurred by the importer.

(2) The following items shall be exempted from the octroi tax, namely :—

(i) goods brought for funeral or religious purposes or to be used in any Church, Temple, Mosque, Gurudwara, Sarai or Dharamsala;

(ii) Samples and advertising materials.

(iii) Personal and household belonging in the use of a person coming to take up his residence in the Jalandhar Cantonment and personal luggage of a travellor;

(iv) head loads of wood fuel, dung cakes, dry grass, green grass, green fodder and cakes.

(v) newspapers, Magazines, periodicals and printed books.

(vi) Sweets, Bhaji and Fresh Fruit and Fresh Vegetable upto 5 Kilograms for domestic use only;

(vii) Common Salt;

(viii) used tools or tools imported by workmen for their personal use and not for sale provided that a written declaration to that effect is given at the time of import;

(ix) goods on which octroi amounts to less than fifty paise;

(x) articles exported by rail from the Jalandhar Cantonment and reimported by rail an amount of refusal to take delivery by the consigne if relevant railway receipts are produced at the time of reimport;

(xi) stamps, stamp papers, petition papers;

(xii) goods declared to be for immediate export and imported with the intention of exporting by rail but not accepted by the railway on the same day;

(xiii) consignment imported by rail either rebooked without delivery being taken or immediately exported under transit pass on the same day;

(xiv) goods which before entering the octroi limits are the property of the Central or State Government or of the Cantonment Board, Jalandhar, if accompanied at the time of import into such limits by a certificate in the form given hereunder signed by a Gazetted Officer, duly authorised in this behalf by the Head of the Department concerned of the Central or State Government or by the Executive Officer, Jalandhar Cantonment to the effect that such goods are the property of the said Government or the Cantonment Board, Jalandhar as the case may be and are brought for use of the said Government or Cantonment Board within the limits of Jalandhar Cantonment and are not brought for sale but where goods are brought by Department of the Central or State Government under a certificate as specified above without payment of octroi thereon and subsequently sold by the said Department, the Department concerned shall furnish to the Executive Officer, Jalandhar Cantonment on the 1st day of the month following the sale, a Certificate of the goods so sold and shall pay octroi due thereon and further no octroi shall be charged on the goods, motor vehicles and animals exported outside the limits of Jalandhar Cantonment by the Department of Central or State Government.

EXPLANATION :—

Issue of stores to contractors against payment and adjustment for use in Central or State Government or Cantonment Board works shall not constitute sale for the purpose of this provision.

FORM OF CERTIFICATE

I certify that the goods noted below are before entering Jalandhar Cantonment limits, the property of a Department of the Central or State Government and are not brought for sale and do not belong to any Departmental or Government Contractor or Supplier nor are they being brought on behalf of the contractor and they are brought as they are required for use by the Government concerned within the limits of Jalandhar Cantonment and are therefore exempt from Octroi.

(1) Railway Receipt No.....and date.....
(Where from the goods are brought by rail)

(2) Station From

(3) Name and Address of Sender

(4) Name and Address of Consignee

(5) Number of Packages

(6) Contents

(7) Weight

(8) Whether the goods are to be delivered at site within the octroi limits by the supplier or outside the octroi limits specify clearly.

(9) Remarks.

Signature of a Government Gazetted Officer duly authorised in this behalf by the Head of the Department.

Dated :.....

(xv) Goods which before entering the octroi limits are the bonafide property of the Canteen Stores Department if accompanied at the time of import into such limits by a Certificate in the form given hereunder signed by an officer duly authorised in this behalf by the Head of the Department of the Canteen Stores Department, to the effect that such goods are the property of the said Department and are brought for sale.

Provided that where goods are brought by a Canteen Stores Department under a Certificate as specified above without payment of octroi thereon and subsequently sold by the said Department for use consumption or sale within the limits of Jalandhar Cantonment the Department concerned shall furnish to the Executive Officer, Jalandhar Cantonment on the 1st day of the month following the sale, a certificate of the goods so sold and shall pay octroi due thereon;

Provided further that no octroi shall be charged on the goods sold by Department for use, consumption on sale to the Canteen located outside the limits of Jalandhar Cantonment.

FORM OF CERTIFICATE

I certify that the goods noted below are before entering Jalandhar Cantonment limits, the bonafide property of a Canteen Stores Department and are brouhgt for sale and do not belong to any Department or Government Contractor or Supplier nor are they brought on behalf of the contractor.

(1) Railway Receipt No.....and date.....
(Where from the goods are brought by rail).

(2) Station from

(3) Name and Address of Sender

(4) Name and Address of Consignee

(5) Number of Packages

(6) Contents

(7) Weight

(8) Whether the goods are to be delivered at site within the octroi limits, by the Supplier or outside the Octroi Limits specify clearly.

(9) Certificate that payment of octroi shall be made to the Executive Officer, Jalandhar Cantonment every month on the basis of sale effected by the Department for use, consumption or sale within the limits of Jalandhar Cantonment.

Date.....

Jalandhar Cantonment

Signature of a Manager, Canteen Stores Department duly authorised in this behalf by the Head of the Department.

(xvi) all live plants;

(xvii) articles imported by the Police Department, in connection with a criminal case provided that articles are accompanied by a certificate signed by a Police Officer not below the rank of Sub Inspector.

(xviii) Clothes, reimported by Dhobies into the Cantonment after washing;

(xix) Charkhas of all type i. e. traditional charkas, Charkas box, Charkha and Amber Charkha and their spare parts;

(xx) Goods declared to be for immediate export and exported in accordance with the bye-laws for the time being in force in this behalf;

(xxi) Scientific instruments returned by an Institution due to breakage in transit or other reasons provided these are accompanied by a certificate from Institution;

(xxii) bonafide luggage and equipment imported by the article, Circus and other travelling companies for the purpose of their performances;

(xxiii) gold and silver bullion and coins, ornaments of gold and silver and jewellery not meant for sale;

(xxiv) handwoven and handspun cloth out of hand spun yarn by Khadies provided it is accompanied by a certificate from Punjab Khadi Gramodyog Sangh's Centre;

(xxv) Stores imported by Indian Red Cross Society, St. John Ambulance or by any Registered Charitable Institution;

(xxvi) Earth, Chichre, Leaves of sal, Dhak and Taur;

(xxvii) Games (Shikar);

(xxviii) donated goods for free distribution to the poor, invalid sick wounded and needy persons, sent or imported by registered Institutions;

(xxix) articles, imported in connection with the mourning ceremony;

(xxx) Nirodh (Condoms);

(xxxi) Chemicals used as fertilizers such as Sodium Nitrate, Amonium Sulphate, Calcium Nitrate, Super Phosphate brought for Agricultural purposes.

(xxxii) Wheat and Green Fodder.

S. S. GREWAL
Cantonment Executive Officer,
Jalandhar Cantonment

PHARMACY COUNCIL OF INDIA
KOTLA ROAD, TEMPLE LANE,
New Delhi-110002, the 22nd May 1998

No. 17-1/98-PCI/1331-1510 The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India at its 63rd meeting held on 26th April, 1998 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) namely :—

Resolution No. 63/PCI/1079

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of the institutions in A.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Sri Venkateshwara College of Pharmacy, 86, Madhapur Village, Sherilingampally Mandal, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh-500 033	60	From 1995-96 to 1999-2000
K. D. R. Govt. Polytechnic, Wanaparthy-509103 (A.P.) Distt. Mahaboob Nagar.	60	From 1993-94 to 1999-2000
Govt. Polytechnic for Women, Srikakulam (A.P)	40	From 1993-94 to 1999-2000.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Secretary, State Board of Tech. Education & Training, BRKR Building, 7th Floor, Tank Bund Road, Hyderabad-500029, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Phamacist under the said Act."

Resolution No 63/PCI/1080

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder:—

Name of Institutions in Delhi	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Baba Hari Das College of Pharmacy Jharoda Kalan New Delhi-110072.	60	1999-2000
Aditya Institute of Technolgy 107/9 Kishangarh Vasant Kunj, New Delhi.	60	From 1995-96 to 1999-2000.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section(2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, Board of Tech Education in the Kasturba Polytechnic Building, near T.V. Tower, Prem Bari Pul, Pitam Pura, Delhi-110034, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1081

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of institutions in Gujarat	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Tolani Institute of Pharmacy Near Railway Station Adipur, Kachchh, Gujarat-370205	60	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, Gujarat University P.B. No. 4010, Ahmedabad-380 009 during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act".

Resolution No. 63/PCI/1082

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :—

Name of institutions in Haryana	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Dehat Vikas College of Pharmacy, Tigaon, (Faridabad)	60	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Director Board of Technical Education, Haryana, S.C.O. No. 38-39 Sector 17-A, Chandigarh, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1083

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved Course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of institutions in KARNATAKA	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
B.E.S. Institute of Pharmacy, 16th Main IV Block, Jayanagar, Bangalore-560011.	60	1999—2000
Togari Veeramllappa Memorial College of Pharmacy, Gandhinagar, Bellary-583103 (Krn.)	60	1999—2000
H.K.E. Society's College of Pharmacy, Mahadevappa Rampure Road, Gulbarga-385 105 (Krn.)	60	1999—2000
Dayanand Sagar Institute of Pharmacy, Shavige Malleswara Hills, Kanakapura Road, Bangalore-560 078 (Krn.)	60	1999—2000
M.M.U College of Pharmacy, Ramanagaram, Bangalore Distt.	60	1999—2000
Chennigaramaiah College of Pharmacy, Main Road, Koratagere, Tumkur Distt.-572 129 (Krn.)	60	1999—2000
Rural College of Pharmacy, D. S. Road, Devanhalli-562 110 Distt. Bangalore Rural (Krn.)	60	1998—1999
Farooqia College of Pharmacy, Umar Khayam Road, Mysore (Krn.)	60	1999—2000
Bapuji Educational Association B. E. A. School of Pharmacy, Davangere-577 004 (Krn.)	60	1999—2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Chairman, Board of Exam. Authority, C/o Drugs Controller, Palace Road, Bangalore-560001, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1084

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Paarmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of institutions in KERALA	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Crescent College of Pharmacy, Mottambram, Puthiyangadi, P. O. Madayi-Kannur-670304 (Kerala).	60	For 1998—99
Jamia Salafiya Pharmacy College, Pulikkal-673 637 (Kerala).	60	For 1998—99

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Chairman, Board of D. Pharm. Exam. C/o Dte. of Medical Education, Trivandrum-695011, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registrations as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1085

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified hereunder :

Name of institutions in M.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
Institute of Pharmacy, Jiwaji University, Gwalior (M.P.)	60	From 1996-97 to 1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of the 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Vice Chanceller, Jiwaji University, Gwalior 474001, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1086

"(1) In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares the Diploma Course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of institutions in M.S.	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
S.P. M.'s College of Pharmacy, (Diploma) Akluj-413101 (M.S.)	40	1999-2000
Yashvantrao Chavan College of Pharmacy, Savedi, S. No. 250/ (New) Near Nagpur Bridge, Nagar—Manmad Road, Ahmednagar-414001 (MS.)	60	From 1994-95 to 1999-2000
Shri S. S. P. Shikshan Sanstha Shrimati Shantabai Patil Institute of Diploma in Pharmacy, New Kamptee-441 002 (M.S.) Distt. Nagpur	60	From 1995-96 to 1999-2000
Anuradha College of Pharmacy Chikhali-443201 (MS.) Distt. Buldana.	60	From 1994-95 to 1999-2000
Satara Education Society's Stara Polytechnic, Mangalwar Peth, Satara-415002	60	1999-2000
Sri Laxmanrao Mankar Institute of Pharmacy, Amgaon-441 902.	60	1999-2000
R.S. C. Instt. of Pharmacy, Dasara Chowk, Kolhapur-416002 (M.S.)	40	1999-2000
Shri Anand College of Pharmacy, P. O. Pathardi-414102 (M.S.)	40	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Secretary, Board of Tech. Exams., Govt. Poly., Building, IIIrd Floor, 49 Kharwadi Ali Yavar Jung Marg, Banda (E), Bombay-51, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act,"

Resolution No. 63/PCI/1087

"(1) In pursuance of the provisions of s ub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of the 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Parmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :—

Name of Institutions in ORISSA	For admns. limited to	Approved upto academic session
1	2	3
College of Pharmaceutical Sciences, Tamando, Bhubaneswar Via-Janla, Distt.-Khurda, Orissa-752 054	60	1999-2000
Institute of Pharm. Sciences & Technology, Padampur, Bahugram, (Orissa).	40	From 1990-91 to 1992-93 as per ER 81.
Institute of Pharmacy & Technology Salipur-754 202, Distt. Cuttack (Orissa)	60	1999-2000
College of Pharmaceutical Sciences, At-Bidyaniketan, Marine Drive Road, P. O. Baliguali, Distt. Puri.	60	1998-99

(2) In pursuance of the provis ons of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Member-Secretary, Orissa State Board of Pharmacy, Dte. of Drugs Control Admn. P.O. Sainik School, New Nandan Kanan Road, Bhubaneshwar-751005, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.".

Resolution No. 63/PCI/1088

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by Institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under::—

Name of Institutions in PUNJAB	For admns. limited to	Approved upto academic session
Akal College of Pharmacy and Technical Education, Mastuana Sahib-148 001 (Sangrur) Punjab.	60	1999-2000
Gujranwala Guru Nanak Khalsa College of Pharmacy, P.B. No. 272, Civil Lines, Ludhiana-141 001 (Pb.)	60	1999-2000
Govt. Polytechnic for Women, Patiala-147 001 (Pb.)	30	1999-2000
Govt. Polytechnic for Women, Jalandhar-144 001 (Pb.)	30	1999-2000
Amar Shaheed Baba Ajit Singh Jujhar Memorial College, Bela (Ropar)	60	1999-2000
Adesh Polytechnic, Ferozepur Road, Muktsar-152 026 (Pb.)	60	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section(2)of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Secretary, Punjab State Board of Tech. Education & Indi. Training, 1-A, Sector-36A, Chandigarh, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by Institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:–

Name of Institutions in RAJASTHAN	For admns. limited to	Approved upto academic session
—Nehru Memorial College Hanumangarh Town, Rajasthan.	60	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Rajasthan, Jaipur-302 001, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by Institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under– :

Name of institutions in RAJASTHAN	For admns. limited to	Approved upto academic session
Mohanlal Sukhadia College of Pharmacy Udaipur.	40	From 1994-95 to 1997-98 session.

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held dy the Regisirar, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur. during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1091

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Councils of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under– :

Name of institutions in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
University Institute of Pharmaceutical Technology, Annamalai Nagar-608 002 (T.N.)	60	1998-99

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Registrar, Annamalai University, Annamalai Nagar-608 002, during the session mentioned above to be an approved examinatiod for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1092

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be and approved course

of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

Name of institutions in A.P.	For admns. limited to	Approved upto academic session
University College of Pharm. Sciences, Kakatiya University, Warangal.	60	2000-2001

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Kakatiya University, Vidyaranyapuri, Warangal, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1093

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission be to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

Name of institutions in GUJARAT	For admns. limited to	Approved upto academic session
A.R. College of Pharmacy and G.H. Patel Institute of Pharmacy, Vallabh Vidyanagar-388 120 (Gujarat).	60	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Sardar Patel University, P.B. o. 10, Vallabh Vidyanagar-388 120 (Distt. Kheda), during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1094

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

Name of institutions in KARNATAKA	For admns. limited to	Approved upto academic session
Farooquia College of Pharmacy, Farooqia Educational Complex, Umar Khayam Road, Eidgah, Tilak Nagar, Mysore-570 021 (Karnataka).	40	From 1992-93 to 1998-99

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, University of Mysor, Crawford Halls, Mysore-570000, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1095

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course

of study for the purpose of admission to be an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

Name of institutions in KARNATKA	For admns. limited to	Approved upto academic session
M.S. Ramaiah College of Pharmacy, M.S.R.I.T. Post, Bangalore-560 054.	60	From 1993-94 to 1998-99.
Gautam College of Pharmacy, Bangaloro.	60	From 1993-94 to 1998-99

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Bangalore University, Bangalore & Registrar, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th "T" Block Jayanagar, Bangalore-560 041, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1096

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under:

Name of institutions in KARNATAKA	For admns. limited to	Approved upto academic session.
HKE's College of Pharmacy, Gulbarga (Karnataka).	60	1999-2000
Karnataka College of Pharmacy, Bidar-585 403.	60	1997-98

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Gulbarga University, Jnana Ganga, Gulbarga & Registrar, Rajiv Gandhi University of Health Sciences, 4th "T" Block Jayanagar, Bangalore-560 041, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1097

(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by Institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to be an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institutions in KARNATAKA	For admns. limited to	Approved upto academic session
B.E.A.'s Bapuji Pharmacy College, Davangere-577004 (Karnataka)	60	From 1992-93 to 1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Rajiv Gandhi University of Health Sciences Bangalore-41, and Kuvempu University, Shimoga during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1098

(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institutions in M.P.	For admns.limited to	Approved upto academic session
Deptt. of Pharm. Sciences, Dr. Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar-470003 (M.P.)	50	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Dr. H.S. Gaur Vishwavidyalaya, Sagar-470003 (M.P.), during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1099

(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institutions in ORISSA	For admns. limited to	Approved upto academic session
Kanak Manjari Institute of Pharmaceutical Sciences, Chhend, Rourkela-769015 (Orissa)	60	1998-99

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Sambalpu University, Jyoti Vihar, Burla (Orissa), during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1100

(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to be an approved examination for Degree in Pharmacy inrespect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institutions in U.T.	For admns. limited to	Approved upto academic session
University Instt. of Pharm. Sciences, (Formerly Deptt. of Pharm. Sciences), Panjab University, Chandigarh-160014	50	2000-2001

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the Registrar, Panjab University, Chandigarh-160014 during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

Resolution No. 63/PCI/1101

Karnataka

H.M.S. College of Pharmacy, Shettihali Road, Tumkur,

In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares that the Diploma course in Pharmacy conducted by the H.M.S. College of Pharmacy, Tumkur, and the Diploma in Pharmacy of the subject institution conducted by the Chairman, Board of Examining Authority C/o Office of the Drugs Controller, Karnataka, Palace Road, Bangalore-560001 (Krn.) shall be deemed to be approved only when completed or passed by 1998 final year examinations for the students admitted upto 1996-97 academic session."

Resolution No. 63/PCI/102

Karnataka

Al-Falah College of Pharmacy, Hubli

In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares that the Diploma course in Pharmacy conducted by the Al-Falah College of Pharmacy, Hubli, and the Diploma examination in Pharmacy of the subject institution conducted by the Chairman, Board of Examining Authority C/o Office of the Drugs Controller, Karnataka Palace Road, Bangalore-560001 (Krn.), shall be deemed to be approved only when completed or passed by 1994 final year examinations for the students admitted upto 1992-93 academic session."

Resolution No. 63/PCI/1103

(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institution mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to be an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

Name of institutions in T.N.	For admns. limited to	Approved upto academic session
Texcity College of Paramedical Sciences, Opp. Karupparayan Koil, Podanur Road, Coimbatore-23	40	1999-2000

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the Chairman, Board of Examiners for D. Pharm Examinations, C/o Director Medical Education, Madras, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act."

ARCHNA MUDGAL, Asstt. Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय. फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998